भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा विभाग
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई - 400 001

आरबीआई/2012-13/06

मास्टर परिपत्र सं.06/2012-13 02 जुलाई 2012

विदेशी मुद्रा में कारोबार करने के लिए प्राधिकृत सभी व्यक्ति

महोदया/महोदय

मास्टर परिपत्र - भारत से विविध प्रेषण - निवासियों के लिए सुविधाएं

निवासियों के लिए भारत से विविध विप्रेषण सुविधाओं की अनुमति, समय-समय पर यथासंशोधित 3 मई, 2000 के भारत सरकार की अधिसूचना सं. जी.एस.आर.381(ई) के साथ पठित विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 5 के अनुसार दी जा रही है।

2. इस मास्टर परिपत्र में **"भारत से विविध विप्रेषण - निवासियों के लिए सुविधाएं"** विषय पर वर्तमान अनुदेशों को एक स्थान में समेकित किया गया है। इस मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों/अधिसूचनाओं की सूची परिशिष्ट-1 में दी गई है।

3. इस मास्टर परिपत्र को एक वर्ष की अवधि के लिए ("सनसेट खंड" के साथ) जारी किया जा रहा है। इस परिपत्र को 1 जुलाई 2013 को वापस ले लिया जाएगा तथा उसके स्थान पर इस विषय पर अद्यतन मास्टर परिपत्र जारी किया जाएगा।

भवदीय,

(रुद्र नारायण कर)
मुख्य महाप्रबंधक

अनुक्रमणिका

ए.1	सामान्य
ए.2	विदेशी मुद्रा की बिक्री
ए.3	चिकित्सा
ए.4	सांस्कृतिक दौरे
ए.5	निजी दौरे
ए.6	व्यावसायिक दौरे
ए.7	विदेशी मुद्रा अभ्यर्पण अवधि
ए.8	व्यय न की गई विदेशी मुद्रा
ए.9	दौरा व्यवस्था आदि के लिए विप्रेषण
ए.10	रुपए में भुगतान
ए.11	अग्रिम विप्रेषण - सेवाओं का आयात
ए.12	गारंटी जारी करना-सेवा का आयात
ए.13	निवासी व्यक्तियों के लिए 2,00,000 अमरीकी डालर की उदारीकृत विप्रेषण योजना
ए.14	प्रलेखीकरण
ए.15	पासपोर्ट पर पृष्ठांकन
ए.16	अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड
ए.17	अंतर्राष्ट्रीय डेबिट कार्ड
ए.18	स्टोर वैल्यू कार्डस्/ चार्ज कार्डस्/ स्मार्ट कार्डस्, आदि
अ.19	कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के अंतर्गत विदेशी प्रतिभूतियों का अधिग्रहण
ए.20	आयकर बेबाकी प्रमाणपत्र

अनुबंध 1

अनुबंध 2

अनुबंध 3

अनुबंध 4

अनुबंध 5

अनुबंध 6

अनुबंध 7

परिशिष्ट 1

परिशिष्ट 2

प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा विदेशी मुद्रा जारी करना

ए.1 सामान्य

1.1 विभिन्न चालू खाता लेनदेनों के लिए भारत में निवासी व्यक्तियों को विदेशी मुद्रा जारी करने के संबंध में प्राधिकृत व्यापारी बेंकों को, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 5 ***(परिशिष्ट 2 की मद 1 में दर्शाए अनुसार)*** के अधीन भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा नियंत्रित किया जाना है, जो भारत सरकार की 3 मई, 2000 की अधिसूचना जी.एस.आर.381(ई) (नियमावली) के अनुसार भारत सरकार द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेन-देन) नियमावली, 2000 **(अनुबंध-I)** में दिए गए हैं। उपर्युक्त नियमों के अनुसार अनुसूची I में सूचीबद्ध लेन-देनों की कतिपय श्रेणियों के लिए विदेशी मुद्रा का आहरण स्पष्ट रूप से निषिद्ध है। नियम की अनुसूची II में शामिल लेन-देनों की विनिमय सुविधा प्राधिकृत व्यापारी द्वारा अनुमत की जाए बशर्ते आवेदक ने उसमें दिए गए अनुसार लेन-देनों के लिए भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय/ विभाग से अनुमोदन प्राप्त किया है। अनुसूची III में शामिल लेन-देनों के संबंध में विनिर्दिष्ट मूल्य से अधिक विप्रेषण के लिए रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन की आवश्यकता होगी। अनुसूची III में विनिर्दिष्ट सीमा मूल्यों तक विदेशी मुद्रा जारी करने के अधिकार प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को प्रत्यायोजित किए गए हैं। नियमों की अनुसूची III में निर्धारित सीमा से अधिक विदेशी मुद्रा जारी करने के लिए सभी आवेदन रिज़र्व बैंक के उस क्षेत्रीय कार्यालय के विदेशी मुद्रा विभाग, जिसके क्षेत्राधिकार में आवेदक कार्य करता है/रहता है को, भेजे जाएं।

1.2 "आहरण" में अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड(आइसीससी), अंतरराष्ट्रीय डेबिट कार्ड(आइडीसी), एटीएम कार्ड, आदि का उपयोग शामिल है। "मुद्रा" में, अन्य बातों के साथ-साथ, अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड, अंतर्राष्ट्रीय डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड शामिल है। तदनुसार, अधिनियम के अधीन बनाए गए सभी नियम और विनियम तथा जारी किए गए निर्देश अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्डों, अंतर्राष्ट्रीय डेबिट कार्डों और एटीएम कार्डों के उपयोग पर लागू हैं।

1.3 पर्याप्त विदेशी मुद्रा सुविधा और सक्षम ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए रिज़र्व बैंक ने निर्णय लिया है कि गैर व्यापारिक चालू खाता लेन-देन करने के लिए कतिपय संस्थाओं को प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी II के रूप में लाइसेंस दिया जाए। तदनुसार, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी II निम्नलिखित गैर व्यापारिक चालू खाता लेन-देनों के लिए विदेशी मुद्रा जारी करने/विप्रेषण के लिए प्राधिकृत हैं:

(ए) निजी दौरे
(बी) टूर ऑपरेटरों/विदेशी एजेंटों को ट्रैवल एजेंट/प्रिंसिपल/होटेल द्वारा विप्रेषण।
(सी) व्यावसायिक दौरे
(डी) वैश्विक सम्मेलनों और विशेषीकृत प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए फीस
(ई) अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स/प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने के लिए (प्रशिक्षण, स्पांसरशिप और पुरस्कार राशि) विप्रेषण
(एफ) फिल्मों की शूटिंग
(जी) विदेशों में चिकित्सा कराना

(एच) कर्मचारियों की मजदूरी का संवितरण

(आई) विदेश में शिक्षा

(जे) विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ शैक्षणिक गठजोड़ के तहत विप्रेषण

(के) भारत और विदेशों में आयोजित परीक्षाओं और जीआरई, टीओईएफएल, आदि के एडिशनल स्कोर शीट की फीस के लिए विप्रेषण

(एल) रोज़गार और विदेशों में नौकरी के आवेदन की प्रोसेसिंग और एसेसमेंट फीस

(एम) उत्प्रवास और उत्प्रवास परामर्श फीस

(एन) उत्प्रवास का इरादा के लिए कौशल/ परिचय पत्र एसेसमेंट की फीस

(ओ) वीज़ा फीस

(पी) पुर्तगीज़/अन्य सरकारों द्वारा यथापेक्षित दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए प्रोसेसिंग फीस / अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को पंजीकरण/अभिदान/ सदस्यता फीस

1.4 नेपाल और भूटान की यात्रा और उनके निवासियों के साथ लेन-देनों के लिए विदेशी मुद्रा जारी करना अनुमत नहीं है (नियमावली 3 का खंड (बी) देखें) (***परिशिष्ट (2) की मद 2 में दर्शाए अनुसार)।***

ए.2 विदेशी मुद्रा की बिक्री

2.1 प्राधिकृत व्यक्ति, वित्तीय वर्ष के दौरान यात्री द्वारा ली गई विदेशी मुद्रा की राशि के संबंध में दी गई घोषणा के आधार पर यात्रा प्रयोजनों के लिए विदेशी मुद्रा जारी करें।

2.2 यात्री चेक जारी किए जाने के मामले में यात्री प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष चेक पर हस्ताक्षर करें और यात्री चेक की प्राप्ति के लिए क्रेता की प्राप्ति सूचना रिकार्ड में रखी जाए।

2.3 यात्री को बेची जा रही समग्र विदेशी मुद्रा में से विदेशी करेंसी नोट और सिक्के के रूप में निम्नलिखित सीमा के अनुसार विदेशी मुद्रा बेची जाए:

i) इराक, लीबिया, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, रशियन फेडरेशन और स्वतंत्र देशों के कॉमन वेल्थ के अन्य गणराज्यों से इतर देशों में जानेवाले यात्री अधिकतम 3,000 अमरीकी डॉलर अथवा उसके समतुल्य।

ii) इराक अथवा लीबिया जानेवाले यात्री अधिकतम 5000 अमरीकी डॉलर अथवा उसके समतुल्य।

iii) इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, रशियन फेडरेशन और स्वतंत्र राज्यों के कॉमन वेल्थ के अन्य गणराज्य की यात्रा पर जानेवाले यात्रियों को पूर्ण विदेशी मुद्रा जारी की जाए।

2.4 विदेशी मुद्रा की बिक्री से संबंधित फार्म ए-2 प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा अन्य संबंधित दस्तावेज़ों के साथ उनके आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा सत्यापन के लिए एक साल तक रखा जाए। तथापि, अधिकतम **25,000 अमरीकी डालर** तक के विविध गैर व्यापारिक चालू खाता लेन-देनों के विप्रेषण आवेदनों के लिए प्राधिकृत व्यापारी **अनुबंध-2** में दर्शाए अनुसार **सरलीकृत आवेदन-व-घोषणा पत्र** (फार्म ए-2) प्राप्त करें। प्राधिकृत व्यापारी

बैंक डमी (dummy) फॉर्म ए-2 तैयार करेंगे ताकि वे भुगतान संतुलन के लिए सांख्यिकी इनपुट हेतु विप्रेषण का प्रयोजन प्रस्तुत कर सकें।

2.5 जहां स्वयं की घोषणा पर विप्रेषण की अनुमति है, आवेदन में सही ब्योरे प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी आवेदक की रहेगी जिसने ऐसे विप्रेषणों के प्रयोजनों के संबंध में ब्योरों को अभिप्रमाणित किया है।

ए.3 चिकित्सा

3.1 निवासियों को विदेश में चिकित्सा के लिए बगैर किसी बाधा अथवा समय की बरबादी के विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराने के लिए अस्पताल/ डॉक्टर द्वारा दिए गए अनुमान प्रस्तुत करने का आग्रह किए बिना उसकी स्वयं की घोषणा के आधार पर कि वह भारत के बाहर चिकित्सा के लिए विदेशी मुद्रा खरीद रहा है, प्राधिकृत व्यापारी 100,000 अमरीकी डॉलर या उसके समतुल्य राशि तक विदेशी मुद्रा जारी कर सकते हैं।

3.2 उक्त सीमा से अधिक राशि के लिए भारत के या विदेशी डॉक्टर/अस्पताल से प्राप्त अनुमान प्राधिकृत व्यापारी के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है।

3.3 विदेश यात्रा में जाने के बाद बीमार पड़ गए व्यक्ति को भारत से बाहर चिकित्सा के लिए प्राधिकृत व्यापारी विदेशी मुद्रा जारी कर सकता है।

ए.4 सांस्कृतिक दौरे

नृत्य मंडली, कलाकार आदि, जो सांस्कृतिक प्रयोजन के लिए विदेश का दौरा करना चाहते हैं, वे अपनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता के लिए भारत सरकार, मानव संसाधन विकास (शिक्षा और संस्कृति विभाग) मंत्रालय में आवेदन प्रस्तुत करें। प्राधिकृत व्यापारी, संबंधित मंत्रालय की स्वीकृति के आधार पर और उसमें उल्लिखित शर्तों के अधीन एक सीमा तक विदेशी मुद्रा दे सकते हैं।

ए.5 निजी यात्राएं

किसी व्यक्ति को निजी दौरे के लिए नियमावली की अनुसूची III में विनिर्दिष्ट सीमा तक विदेशी मुद्रा जारी की जा सकती है, जो किसी भी प्रयोजन के लिए भारत से बाहर की यात्रा के लिए विदेशी मुद्रा ले रहा है।

ए.6 व्यावसायिक दौरे

कारोबार करने अथवा सम्मेलन में सहभागिता अथवा विशेष प्रशिक्षण अथवा चिकित्सा अथवा जांच के लिए विदेश जानेवाले मरीज के निर्वाह व्यय अथवा चिकित्सा / जांच के लिए विदेश जानेवाले मरीज के साथ सहायक के रूप में जाने के लिए नियमावली की अनुसूची III में विनिर्दिष्ट सीमा तक विदेशी मुद्रा जारी की जाए।

ए.7 विदेशी मुद्रा सौंपने (अभ्यर्पण) की अवधि

7.1 किसी विशेष प्रयोजन के लिए खरीदी गई विदेशी मुद्रा का उस प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया जाता है तो उसका उपयोग किसी अन्य पात्र प्रयोजन के लिए, जिसके लिए संबंधित नियमों/ विनियम के अंतर्गत विदेशी मुद्रा का आहरण अनुमत है, किया जा सकता है।

7.2 किसी भी निवासी व्यक्ति को विदेशी मुद्रा की प्राप्ति / वसूली / खरीद / अधिग्रहण / यात्रा से लौटने की तारीख से 180 दिनों के अंदर प्राप्त / वसूली गई / खर्च न की गई / उपयोग न की गई विदेशी मुद्रा को, जैसा भी मामला हो, किसी प्राधिकृत व्यक्ति को सौंपने की सामान्य अनुमति है।

7.3 180 दिनों की उदारीकृत समान समय-सीमा केवल निवासी व्यक्तियों के लिए लागू है और वह भी माल और सेवाओं के निर्यात से अन्य क्षेत्रों में ।

7.4 अन्य सभी मामलों में, विदेशी मुद्रा सौंपने के सभी विनिमय / निदेश अपरिवर्तित रहेंगे (समय-समय पर यथासंशोधित 3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 9/2000-आर बी)।

ए. 8 व्यय न की गई विदेशी मुद्रा

8.1 जैसा कि ऊपर कहा गया है कि यदि निवासी व्यक्ति खर्च न की गई विदेशी मुद्रा भारत में लाता है तो उसे यात्री की वापसी की तारीख से 180 दिन के भीतर किसी प्राधिकृत व्यक्ति को सौंपना होगा। व्यक्ति, इस प्रकार लाई गई विदेशी मुद्रा का उपयोग उक्त विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान अपनी बाद की विदेश यात्रा के लिए कर सकता है ।

8.2 फिर भी, वापस आनेवाला यात्री को कुल 2000 अमरीकी डॉलर की राशि तक के विदेशी मुद्रा यात्री चेक और विदेशी करेंसी नोट तथा असीमित विदेशी सिक्के, 180 दिनों के बाद भी, अपने पास रखने की अनुमति है (स्पष्टीकरण: 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.11/2000-आरबी)। यात्री इस प्रकार अपने पास रखी गई विदेशी मुद्रा का उपयोग अपनी बाद की विदेशी यात्रा के लिए कर सकता है।

8.3 भारत में निवासी व्यक्ति, विदेश में दी गई सेवा के लिए प्राप्त भुगतान, मानदेय, उपहार, दी गई सेवाओं अथवा भारत में निवास न करनेवाले किसी व्यक्ति से किसी कानूनी देयता के भुगतान आदि किसी भी स्रोत से प्राप्त करेंसी नोट, बैंक नोट अथवा यात्री चेकों के रूप में प्राप्त विदेशी मुद्रा से भारत के प्राधिकृत व्यापारी के पास **निवासी विदेशी मुद्रा (घरेलू) खाता** खोल, रख या बनाए रख सकता है।

8.4 निवासी व्यक्ति माल और/अथवा सेवाओं के निर्यात, रॉयल्टी, मानदेय आदि, और/ अथवा नजदीकी रिश्तेदारों (कंपनी अधिनियम में दी गई परिभाषा के अनुसार) से प्राप्त उपहार आदि से अर्जित और निवासी व्यक्तियों द्वारा सामान्य बैंकिंग के माध्यम से भारत में प्रत्यावर्तित विदेशी मुद्रा से भी खाता खोल सकता है/खाते में जमा कर सकता है।

8.5 करेंसी नोट, बैंक नोट और यात्री चेकों के रूप में प्राप्त विदेशी मुद्रा में से निवासी विदेशी मुद्रा (घरेलू) खाते में जमा करने के लिए पात्र राशियां निम्नानुसार हैं:-

(i) विदेश यात्रा के लिए किसी प्राधिकृत व्यक्ति से अधिग्रहित और उसमें से खर्च न की गई रकम अथवा

(ii) भारत से बाहर किसी भी स्थान की यात्रा के दौरान सेवा प्रदान करने के लिए प्राप्त भुगतान हो परंतु जो भारत में किए गए किसी कारोबार अथवा किसी कार्य के लिए भुगतान न हो और मानदेय अथवा उपहार के रूप में अथवा

(iii) भारत में निवास न करनेवाले किसी व्यक्ति से उसकी भारत की यात्रा के दौरान उसके द्वारा मानदेय अथवा उपहार अथवा दी गई सेवा अथवा किसी कानूनी देयता के भुगतान स्वरूप प्राप्त।

टिप्पणी:-*यदि कोई व्यक्ति 180 दिनों की निर्धारित अवधि के बाद खर्च न की गई/उपयोग न की गई विदेशी मुद्रा सौंपने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के पास आता है तो प्राधिकृत व्यक्ति केवल इस आधार पर विदेशी मुद्रा की खरीद से मना नहीं करेगा कि निर्धारित अवधि बीत गई है।*

ए.9 दौरा व्यवस्था आदि के लिए विप्रेषण

9.1 प्राधिकृत व्यापारी, यात्री के अनुरोध पर उसके द्वारा यात्रा के लिए प्रस्तावित देशों में अथवा भारत से यात्रियों के लिए यात्रा की अन्य व्यवस्थाओं हेतु होटल आवास, दौरा व्यवस्था आदि के लिए उचित सीमा तक विदेशी मुद्रा विप्रेषित कर सकते हैं, बशर्ते हर मामले में प्राधिकृत व्यापारी इस बात से संतुष्ट हों कि प्रचलित नियमों, विनियमों और निदेशों के अनुसार यात्री द्वारा किसी प्राधिकृत व्यक्ति से खरीदी गई विदेशी मुद्रा (विदेश में निजी यात्रा के लिए आहरित विदेशी मुद्रा सहित) में से विप्रेषण किया जा रहा है।

9.2 प्राधिकृत व्यापारी, भारत में कार्यरत ऐसे एजेंटों के अनुरोध पर, जिनका विदेश में होटल/ एजेंटों आदि के साथ गठबंधन है, भारत के यात्रियों के लिए होटल आवास अथवा दौरे की अन्य व्यवस्था के लिए उन्हें प्रेषण भेज सकता है बशर्ते प्राधिकृत व्यापारी इस बात से संतुष्ट हों कि विदेशी मुद्रा का प्रेषण, संबंधित यात्री द्वारा किसी प्राधिकृत व्यक्ति से प्रचलित नियमों, विनियमों और निदेशों के अनुसार खरीदी गई विदेशी मुद्रा (विदेश में निजी यात्रा के लिए आहरित विदेशी मुद्रा सहित) में से किया जा रहा है।

9.3 प्राधिकृत व्यापारी, भारत में उस एजेंट के नाम में विदेशी मुद्रा खाते खोल सकते हैं जिसका भारत से आनेवाले यात्रियों को होटल आवास देने अथवा दौरे की अन्य व्यवस्था करने के लिए विदेश के होटलों/एजेंटों आदि के साथ गठबंधन है बशर्ते:

ए) खाते में रकम निम्नलिखित रूप में जमा की जाती है –

i) यात्री से विदेशी मुद्रा में संग्रह की गई रकम; और

ii) बुकिंग/दौरे की व्यवस्था आदि रद्द करने के कारण भारत के बाहर से लौटाई गई रकम; और

बी) विदेशी मुद्रा में नामे रकम भारत से बाहर उक्त पैरा 9.2 के अनुसार होटल आवास, दौरा व्यवस्था आदि के लिए किए गए भुगतान हेतु है।

9.4 प्राधिकृत व्यापारी, यात्रा आयोजकों को रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर रेल/सड़क/जल की लागत/परिवहन प्रभार, एजेंट को देय कमीशन का निवल/ कीमत-लागत का अंतर भेजने के लिए अनुमति दे। भारत में पास / टिकटों की बिक्री भारतीय रुपयों अथवा विदेश यात्रा के लिए दी गयी विदेशी मुद्रा में भुगतान पर की जा सकती है । भारतीय रुपयों में वसूली गई पास/ टिकटों की लागत को यात्री के निजी यात्रा के लिए विदेशी मुद्रा की पात्रता में समायोजित करने की आवश्यकता नहीं है ।

9.5 किसी प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से अग्रिम भुगतान/प्रतिपूर्ति पर भारत और नेपाल, बांगला देश, श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों की यात्रा के लिए भारत की य्त्रा करने वाले विदेशी यात्रियों हेतु यात्रा एजेंटें द्वारा ऐसी समेकित यात्रा व्यवस्था के लिए भारत में प्राप्त विदेशी मुद्रा के अंश को भारत से इन पड़ोसी देशों में यात्रा एजेंटों और होटल मालिकों द्वारा दी गई सेवाओं के लिए उन देशों को भेजने की आवश्यकता है। प्राधिकृत व्यापारी इस बात का सत्यापन करने के पश्चात कि पड़ोसी देशों में भेजी जानेवाली राशि (यात्रा के लिए यदि पहले कोई राशि भेजी गयी हो तो उसे शामिल कर के) भारत को वास्तविक रूप से भेजी गयी राशि से अधिक नहीं है और हिताधिकारी के निवास का देश पाकिस्तान नहीं है, प्रेषण की अनुमति दे सकते हैं।

ए.10 रुपये में भुगतान

प्राधिकृत व्यापारी, विदेश यात्रा (निजी यात्रा अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिए) हेतु विदेशी मुद्रा की बिक्री पर 50,000 रुपये (पचास हजार रुपये मात्र) तक नकद रूप में भुगतान स्वीकार कर सकते हैं। यदि विदेशी मुद्रा की बिक्री की रकम 50,000 रुपये के समतुल्य रकम से अधिक हो जाती है तो भुगतान केवल

(i) आवेदक के बैंक खाते पर आहरित रेखांकित चेक, अथवा

(ii) आवेदक के दौरे को प्रायोजित करने वाली फर्म/कंपनी के बैंक खाते पर आहरित रेखांकित चेक, अथवा

(iii) बैंकर चेक / भुगतान आदेश / डिमांड ड्रॉफ़्ट, अथवा

(iv) डेबिट/क्रेडिट/प्री-पेड कार्ड बशर्ते

ए) अपने ग्राहक को जानिए/एएमएल दिशानिर्देशों का पालन किया गया हो

बी) विदेशी मुद्रा की बिक्री/विदेशी मुद्रा का निर्गम /यात्री चेक, बैंक द्वारा निर्धारित सीमा (क्रेडिट कार्ड/प्री-पेड कार्ड) के भीतर हों और

सी) विदेशी मुद्रा क्रेता /विदेशी मुद्रा यात्री चेक तथा क्रेडिट/ डेबिट /प्री-पेड कार्ड धारक एक वही व्यक्ति हो ।

***टिप्पणी** :-जहां पर किसी एकल यात्रा/भ्रमण के लिए किसी एकल आहरण अथवा एक से अधिक बार किए गए आहरणों को मिलाकर कुल आहरित विदेशी मुद्रा के समतुल्य रकम 50,000 रुपये से अधिक हो तो उसका भुगतान चेक अथवा ड्राफ़्ट, द्वारा किया जाए।*

ए.11 अग्रिम प्रेषण - सेवाओं का आयात

प्राधिकृत व्यापारी (श्रेणी – I बैंक) सेवाओं के आयात के लिए अग्रिम प्रेषण की अनुमति दे सकते हैं। फिर भी जहां पर रकम 500,000 अमरीकी डालर अथवा उसकी समतुल्य रकम से ज्यादा हो, तो भारत से बाहर स्थित किसी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बैंक से गारंटी अथवा यदि ऐसी गारंटी भारत से बाहर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बैंक की प्रतिगारंटी पर जारी की जाती हो, तो भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी से गारंटी, समुद्रपारीय हिताधिकारी से प्राप्त की जानी चाहिए। प्राधिकृत व्यापारी द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि अग्रिम प्रेषण के हिताधिकारी ने भारत के प्रेषक के साथ किए गए संविदा अथवा करार के दायित्वों को पूरा किया है, अनुवर्ती कार्रवाई करे।

यदि सरकारी क्षेत्र की कंपनी अथवा भारत सरकार/राज्य सरकार का कोई विभाग/उपक्रम हो, तो 100,000 अमरीकी डालर (एक सौ हजार अमरीकी डालर मात्र) अथवा उसके समतुल्य से अधिक रकम के लिए बैंक की गारंटी के बिना सेवाओं के आयात हेतु अग्रिम विप्रेषण के लिए भारत सरकार, वित्त मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है।

ए.12 गारंटी जारी करना - सेवाओं का आयात

प्राधिकृत व्यापारी सेवा आयात करनेवाले अपने ग्राहकों की ओर से गारंटी जारी कर सकते हैं, बशर्ते:

ए. गारंटी राशि 500,000 अमरीकी डालर से अधिक न हो।

बी. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी –I बैंक लेनदेन की वास्तविकता से संतुष्ट हो।

सी. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी–I बैंक सेवाओं के आयात के लिए दस्तावेजी सबूत के सामान्य अवधि में प्रस्तुति को सुनिश्चित करता हो।

डी. गारंटी निवासी और अनिवासी के बीच संविदा से होनेवाली प्रत्यक्ष संविदागत देयता की सुरक्षा के लिए हो।

यदि सरकारी क्षेत्र की कंपनी अथवा भारत सरकार/राज्य सरकार का कोई विभाग/उपक्रम हो, तो 100,000 अमरीकी डालर (एक सौ हजार अमरीकी डालर मात्र) अथवा उसके समतुल्य से अधिक एकम के लिए बैंक की

गारंटी के बिना सेवाओं के आयात हेतु अग्रिम विप्रेषण के लिए भारत सरकार, वित्त मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है।

गारंटी मांगने की स्थिति में, प्राधिकृत व्यापारी को उन परिस्थितियों की रिपोर्ट प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग, विदेशी निवेश प्रभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई-400 001 को भेजना है जिसके कारण गारंटी मांगने की आवश्यकता पड़ी।

ए.13 निवासी व्यक्तियों के लिए उदारीकृत, 2,00,000 अमरीकी डॉलर की विप्रेषण योजना

13.1 इस योजना के अधीन प्राधिकृत व्यापारी, अनुमत चालू अथवा पूंजी खाता लेन-देन अथवा संयुक्त रूप से दोनों के लिए प्रति वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) में किसी निवासी व्यक्ति द्वारा 2,00,000 अमरीकी डालर के विप्रेषण की मुक्त रूप से अनुमति दे सकते हैं।

13.2 यह सुविधा अवयस्कों सहित समस्त निवासी व्यक्तियों को उपलब्ध है।यदि विप्रेषक अवयस्क हो तो एलआरएस घोषणा फार्म अवयस्क के असली (Natural) संरक्षक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जाए।

13.3 परिवार के सदस्यों द्वारा योजना के नियम व शर्तों के अनुपालन पर परिवार के सदस्यों के संबंध में इस सुविधा के तहत विप्रेषणों का समेकन किया जा सकता है।

13.4 योजना के तहत केवल अनुमत चालू अथवा पूंजी लेखा लेनदेनों अथवा संयुक्त रूप से दोनों के लिए प्रेषण की अनुमति दी जाती है। अन्य सभी लेनदेन, जो फेमा के तहत अन्यथा अनुमत नहीं हैं और वे जो समुद्रपारीय मंडियों/समुद्रपारीय प्रतिपक्ष को मार्जिन अथवा मार्जिन काल्स के लिए प्रेषण स्वरूप में हैं, को योजना के तहत अनुमति नहीं है।

13.5 निवासी व्यक्तियों को यह स्वतंत्रता है कि वे रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बगैर भारत से बाहर अचल संपत्ति अथवा शेयर अथवा कोई अन्य परिसंपत्ति अधिग्रहण कर सकते हैं और रख सकते हैं।

13.6 योजना के तहत 2,00,000 अमरीकी डॉलर की सीमा में निवासी व्यक्ति द्वारा उपहार और दान के लिए प्रेषण को भी शामिल किया जाएगा।

13.7 योजना के तहत विपेषणों को कला और शिल्प की वस्तुएं खरीदने में उपयोग किया जा सकता है बशर्ते लागू अन्य कानूनों तथा भारत सरकार की मौजूदा विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों का अनुपालन किया जाये।

13.8 इस योजना का उपयोग कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना(इएसओपी) के अधिग्रहण हेतु निधियों के विप्रेषण के लिए भी किया जा सकता है। यह योजना एडीआर /जीडीआर से जुड़ी कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के अधिग्रहण और क्वालिफिकेशन शेयरों के अधिग्रहण के अतिरिक्त है।

13.9 निवासी व्यक्ति को [कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 6 में यथा परिभाषित घनिष्ठ संबंधी/रिश्तेदार] अनिवासी भारतीय/भारतीय मूल के अपने घनिष्ठ संबंधी/रिश्तेदार को रुपये में उपहार/ऋण देने की अनुमति दी गई है। ऐसे उपहार/ऋण की राशि प्रति वित्तीय वर्ष के लिए 2,00,000 अमरीकी डॉलर की समग्र उच्चतम सीमा के भीतर होनी चाहिए, जो उदारीकृत विप्रेषण योजना के तहत किसी निवासी व्यक्ति के लिए अनुमत है। यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निवासी दान-दाता/उधारदाता की होगी कि विप्रेषित उपहार/ऋण की राशि उदारीकृत विप्रेषण योजना के तहत हो तथा एक वित्तीय वर्ष के दौरान उपहार/ऋण की राशि सहित उदारीकृत विप्रेषण योजना के तहत सभी प्रकार की विप्रेषित राशि उदारीकृत विप्रेषण योजना के अंतर्गत विनिर्दिष्ट समग्र सीमा से अधिक न हो। यह सुनिश्चित किया जाए कि इसके लिए विप्रेषक द्वारा केवल उदारीकृत विप्रेषण योजना के तहत उपलब्ध सीमा का उपयोग किया जाए और उपहार/ऋण की राशि, जैसा भी मामला हो, वास्तव में घनिष्ठ संबंधी/रिश्तेदार अनिवासी भारतीय/भारतीय मूल के व्यक्ति के एनआरओ खाते में जमा की जाएगी।

13.10 इस योजना के तहत निवासी व्यक्ति, म्युचुअल फंड के यूनिटों, वेंचर फंडों, अनरेटेड डेट सिक्योरिटीज, प्रॉमिसरी नोटों आदि में निवेश कर सकता है। इसके अतिरिक्त, निवासी व्यक्ति ऐसी प्रतिभूतियों में योजना के तहत विदेश में खोले गये बैंक खाते से अलग निवेश कर सकता है (देखें 13.13)।

13.11 कोई व्यक्ति, जिसने अनिवासी के रूप में विदेश में ऋण लिया हो वह निवासी के रूप में भारत में वापस लौट आने पर इसे उसे लौटा सकता है।

13.12 डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) के रूप में जावक विप्रेषणों के लिए या तो निवासी व्यक्ति के स्वयं के नाम में या फिर उस हिताधिकारी के नाम जिसके जरिये अपनी निजी विदेश यात्रा के समय अनुमत लेनदेन करना चाहता हो, प्रेषक द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्वयं की घोषणा पर योजना का प्रयोग किया जा सकता है ।

13.13 व्यक्ति रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बगैर योजना के अधीन विप्रेषण के लिए भारत से बाहर स्थित बैंक के पास विदेशी मुद्रा खाता खोल सकते हैं, रख सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र विप्रेषणों से होनेवाले अथवा उससे संबंधित सभी लेन-देनों को रखने के लिए विदेशी मुद्रा खाते का उपयोग किया जा सकता है।

13.14 बैंक इस योजना के तहत विप्रेषण को सुविधाजनक बनाने के लिए निवासी व्यक्तियों को किसी प्रकार की ऋण सुविधाएं उपलब्ध न कराएं।

13.15 विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन) विनियमावली, 2000 की विशेष रूप से अनुसूची-I अथवा अनुसूची-II के तहत निषिद्ध किसी प्रयोजन के लिए यह योजना उपलब्ध नहीं है।

13.16 भूटान, नेपाल, मॉरीशस और पाकिस्तान को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष विप्रेषण करने के लिए यह योजना उपलब्ध नहीं है ।

13.17 वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (एफएटीएफ) द्वारा असहयोगी देशों के रूप में पहचाने गए देशों और वित्तीय कार्रवाई कार्यदल की वेबसाइट www.fatf-gafi.org पर यथा-उपलब्ध अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा यथा अधिसूचित देशों को विप्रेषण करने के लिए यह योजना उपलब्ध नहीं है।

13.18 निवासी व्यक्ति योजना के तहत लेनदेन करने के लिए **अनुबंध-3** में दिए गए आवेदन व घोषणा फार्म का उपयोग करें। **योजना के तहत विप्रेषण के लिए स्थायी खाता संख्या (पीएएन) होनी अनिवार्य है।**

13.19 निवेशक, जिसने उदारीकृत विप्रेषण योजना के अंतर्गत निधियों का विप्रेषण किया है, उन्हें रख सकता है, किए गए निवेश पर अर्जित आय का पुनर्निवेश कर सकता है।

13.20 प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों के लिए आवश्यक है कि वे **अनुबंध-7** के रूप में संलग्न संशोधित फार्मेट में, मासिक आधार पर सूचना संबंधित माह के अगले माह की पांच तारीख अथवा उससे पहले प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग (एफआईडी-ईपीडी), भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, 11वीं मंज़िल, केंद्रीय कार्यालय भवन, मुंबई-400001 को प्रस्तुत करें। विवरण की एक सॉफ्ट प्रति (एक्सेल फार्मेट में) ई-मेल द्वारा भी भेजी जाए। यह विवरण संशोधित फॉर्मेट में ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग सिस्टम (ओआरएफएस) के जरिये प्रेषित किया जाये जिसके लिए सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक, द्वारा यूजर आईडी और पासवर्ड उपलब्ध करवाये जा चुके हैं।

ए.14 प्रलेखीकरण

14.1 सामान्यतः रिज़र्व बैंक प्रलेखों का निर्धारण नहीं करेगा जिसे विदेशी मुद्रा जारी करने के समय प्राधिकृत व्यापारी द्वारा सत्यापित किया जाना है। इस संबंध में, प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान फेमा, 1999 की धारा 10 की उप-धारा (5) (***परिशिष्ट 2 की मद 3 में दर्शाए अनुसार***) की ओर आकर्षित किया जाता है जो यह प्रावधान करता है कि किसी प्राधिकृत व्यक्ति से यह अपेक्षा होगी कि विदेशी मुद्रा में लेन-देन करने का इच्छुक व्यक्ति एक ऐसी घोषणा प्रस्तुत करे और ऐसी सूचना दे जो उसे अच्छी तरह से संतुष्ट कर सके कि लेन-देन फेमा के प्रावधनों अथवा उसके अंतर्गत जारी किसी नियम, विनियम, अधिसूचना, निदेश अथवा आदेश के उल्लंघन अथवा उससे बचने के प्रयोजन से नहीं किया गया है।

14.2 प्राधिकृत व्यापारियों से यह भी अपेक्षा है कि वे रिज़र्व बैंक द्वारा सत्यापन के लिए ऐसी सूचना/ प्रलेखीकरण का रेकार्ड रखें जिसके आधार पर लेनदेन किया गया है। यदि आवेदक ऐसी आवश्यकताओं का अनुपालन करने से मना करता है अथवा उसका असंतोषजनक अनुपालन करता है, तो प्राधिकृत व्यक्ति ऐसे लेनदेन करने से लिखित रूप में मना कर सकता है तथा यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि व्यक्ति का उल्लंघन/ अपवंचन का इरादा है तो उसकी सूचना रिज़र्व बैंक को दे।

14.3 प्राधिकृत व्यापारी को विशेष रूप से यह सूचित किया गया है कि वे किसी समर्थक दस्तावेज़ की मांग न करते हुए किन्तु लेन-देनों के कतिपय मूल ब्योरों को शामिल करते हुए स्वघोषणा और फार्म ए-2 के प्रस्तुतीकरण के आधार पर विदेश में रोज़गार, इमिग्रेशन, विदेश में रहनेवाले नज़दीकी संबंधियों के जीवन निर्वाह, विदेश में शिक्षा अथवा चिकित्सा के लिए 100,000 अमरीकी डॉलर तक विदेशी मुद्रा जारी करें। इसके अलावा, किसी देश (नेपाल और भूटान को छोड़कर) की एक से अधिक निजी यात्रा के लिए एक वित्तीय वर्ष में प्राधिकृत व्यापारी द्वारा स्व-घोषणा के आधार पर 10,000 अमरीकी डालर अथवा उसके समतुल्य राशि जारी करने की वर्तमान सुविधा जारी रहेगी।

ए.15 पासपोर्ट पर पृष्ठांकन

प्राधिकृत व्यापारी के लिए यह बाध्यता नहीं होगी कि वह विदेश यात्रा के लिए बेची गई विदेशी मुद्रा की रकम व्यक्ति के पासपोर्ट में पृष्ठांकित करें। परंतु यात्री के अनुरोध पर वे अपनी मोहर, तारीख हस्ताक्षर के साथ और यात्री को बेची गई विदेशी मुद्रा को दर्ज करे।

ए.16 अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड

16.1 विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन) नियमावली, 2000 के नियम 5 में दिए गए प्रतिबंध निवासियों द्वारा भारत से बाहर दौरे पर रहते समय खर्चों का भुगतान करने के लिए उनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड के उपयोग पर लागू नहीं होगी।

16.2 निवासी, इंटरनेट पर किसी भी प्रयोजन, जिसके लिए भारत में प्राधिकृत व्यापारी से विदेशी मुद्रा खरीदी जा सकती है यथा पुस्तकों के आयात, डाउनलोड करने योग्य सॉफ्टवेयर की खरीद अथवा विदेशी व्यापार नीति के अधीन अनुमति के योग्य किसी अन्य मदों के आयात लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर सकते हैं।

16.3 अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड का उपयोग लाटरी टिकट, प्रतिबंधित अथवा गैर कानूनी घोषित पत्रिकाओं जैसी निषिद्ध वस्तुओं की खरीद, घुड़दौड़ जुए में सहभागिता, कॉल बैंक सर्विस हेतु भुगतान आदि के लिए इंटरनेट पर अथवा अन्यथा नहीं किया जा सकता है चूंकि ऐसी मदों/ कार्यकलापों के लिए विदेशी मुद्रा आहरण की अनुमति नहीं है।

16.4 इंटरनेट के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड के उपयोग के लिए अलग से कोई सकल मौद्रिक सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

16.5 वर्तमान विदेशी मुद्रा विनियमावली के अंतर्गत यथाअनुमत भारत में अथवा विदेश स्थित बैंक में किसी प्राधिकृत व्यापारी के पास विदेशी मुद्रा खाता रखनेवाले निवासी व्यक्ति विदेशी बैंकों और अन्य ख्यातिप्राप्त एजेंसियों द्वारा जारी अंतरराष्टीय क्रेडिट कार्ड (आइसीसी) प्राप्त कर सकते हैं। भारत या विदेश में क्रेडिट कार्ड पर हुए खर्चे कार्ड धारक के ऐसे विदेशी मुद्रा खाता/ खाते में रखी गई निधियों अथवा प्रेषणों, यदि कोई हो, के माध्यम से भारत से केवल उसी बैंक के माध्यम से पूरे किए जा सकते हैं जहां कार्ड धारक का चालू अथवा बचत खाता है। इस प्रयोजन के लिए विप्रेषण कार्ड जारी करनेवाली एजेंसी को सीधे किया जाए और किसी तीसरी पार्टी को नहीं।

16.6 लागू ऋण सीमा कार्ड जारी करेनवाले बैंक द्वारा निर्धारित सीमा होगी। इस सुविधा के अंतर्गत प्रेषणों के लिए, यदि कोई हो, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किसी प्रकार की मौद्रिक सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

16.7 नेपाल और भूटान में विदेशी मुद्रा में भुगतान के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड के उपयोग की अनुमति नहीं है।

ए.17 अंतर्राष्ट्रीय डेबिट कार्ड

17.1 विदेशी मुद्रा का कारोबार करने के लिए प्राधिकृत बैंक अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड जारी कर रहे हैं जिसका उपयोग निवासी अपने विदेश दौरे में विदेश में नकदी आहरण अथवा व्यापारी प्रतिष्ठान में भुगतान के लिए कर सकता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय डेबिट कार्ड का उपयोग केवल अनुमत चालू खाता लेनदेन के लिए किया जा सकता है तथा समय-समय पर यथासंशोधित विनियमों की अनुसूची में उल्लिखित मदवार सीमाएं इन कार्डों के उपयोग के माध्यम से किए गए भुगतानों पर समान रूप से लागू हैं।

17.2 अंतर्राष्ट्रीय डेबिट कार्ड का उपयोग लाटरी टिकट, प्रतिबंधित अथवा गैर कानूनी घोषित पत्रिकाओं जैसे निषिद्ध वस्तुओं की खरीद घुड़दौड़ जुए में सहभागिता, कॉलबैक सर्विसेज़ हेतु भुगतान आदि अर्थात् ऐसी मदें/ क्रियाकलाप, जिसके लिए विदेशी मुद्रा के आहरण की अनुमति नहीं है के लिए इंटरनेट पर नहीं किया जा सकता है।

17.3 एक कैलेंडर वर्ष में, अंतर्राष्ट्रीय डेबिट कार्ड धारक द्वारा 100,000 अमरीकी डालर से अधिक के समग्र विदेशी मुद्रा के उपयोग के मामले में, प्राधिकृत व्यापारी बैंक का अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग/विदेशी मुद्रा विभाग को प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर की स्थिति के अनुसार निर्धारित प्रोफार्मा में एक विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक होता था। प्राधिकृत व्यापारी बैंकों द्वारा कैलेण्डर वर्ष 2010 के आगे से यह विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है।

ए.18 स्टोर वैल्यू कार्डस्/ चार्ज कार्डस्/ स्मार्ट कार्डस् आदि

निजी/ व्यापारिक दौरे पर विदेश की यात्रा करनेवाले निवासियों को कतिपय प्राधिकृत व्यापारी बैंक स्टोर वैल्यू कार्डस्/चार्ज कार्डस्/ स्मार्ट कार्डस् भी जारी करते हैं जिसका उपयोग समुद्रपारीय व्यापार प्रतिष्ठानों में भुगतान साथ ही एटीएम टर्मिनल से नकदी आहरण के लिए किया जाता है। ऐसे कार्डस् जारी करने के लिए रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं है। फिर भी, ऐसे कार्डस् का उपयोग अनुमत चालू खाता लेन-देनों तक सीमित है तथा समय-समय पर यथासंशोधित नियमों के तहत निर्धारित सीमा के अधीन है।

ए.19 कार्ड जारीकर्ताओं द्वारा अनुसरित प्रणाली के अनुसार ट्रैवेल कार्ड के क्रेता निवासी भारतीयों को कार्डगत विदेशी मुद्रा शेष की उपयोग न की गयी राशि, उससे किए गए अंतिम लेनदेन की तारीख से 10 दिनों के बाद वापस प्राप्त करने की अनुमति दी जाती है और तदनुसार यह शर्त ``युज़र गाइड" में बतायी गयी है। चूँकि ये कार्ड नकदी/यात्री चेक के बदले लेनदेन के लिए उपयोग किए जा सकते हैं, अत: उपयोगकर्ता को उपलब्ध सुविधा भी तदनुरूप होनी चाहिए। तदनुसार, निवासी भारतीयों को जारी इन कार्डों में से शेष रही राशि के नकदीकरण के लिए प्राप्त अनुरोधों को ऐसे सभी प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा, निम्नलिखित को छोड़कर, तुरंत अदा करनी होगी :

ए) अधिकृत किंतु अदावाकृत रही/अर्जक द्वारा संबंधित निपटान चक्र के पूरा होने तक निपटान के लिए भुगतान की तारीख तक बकाया रही राशि ;
बी) संबंधित निपटान चक्र के पूरा न होने तक पाइपलाइनगत लेनदेनों को पूरा करने के लिए लघु राशि जो 100 अमरीकी डॉलर से अधिक नहीं होगी; और
सी) भारत में रुपये में देय लेनदेन शुल्क / सेवा कर ।

ऐसी राशि जो अधिकृत है किंतु अर्जक द्वारा अदावाकृत/जिसका निपटान नहीं किया गया है, उसके संबंध में ऐसे कार्डों का जारीकर्ता उतनी राशि तब तक के लिए रोक कर रख सकता है जब तक अर्जक द्वारा विनिर्दिष्ट निपटान समयावधि में ऐसे लेनदेन प्रक्रियागत/निपटान के अधीन है।

ए.20 कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना (ईएसओपी) के अंतर्गत विदेशी प्रतिभूतियों का अधिग्रहण

किसी विदेशी कंपनी के भारतीय कार्यालय अथवा शाखा जिसमें विदेशी धारिता 51% से कम नहीं है, के किसी कर्मचारी अथवा निदेशक को उपर्युक्त योजना के अधीन बगैर किसी मौद्रिक सीमा के विदेशी प्रतिभूति के अधिग्रहण की अनुमति है। वे शेयरों की बिक्री के लिए भी स्वतंत्र हैं बशर्ते उसकी प्राप्तियों को भारत को प्रत्यावर्तित किया जाता है।

ए.21 आयकर समाशोधन

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के प्रत्यक्ष कर के केन्द्रीय बोर्ड द्वारा 9 अक्तूबर, 2002 के उनके परिपत्रसं.10/2002 में निर्धारित फार्मेटों **(अनुबंध 4)** में प्रेषक द्वारा दिए गए वचन पत्र और सनदी लेखाकार से प्राप्त प्रमाणपत्र की प्रस्तुति पर प्राधिकृत व्यापारी अनिवासी को विप्रेषण की अनुमति देगा (26 नवंबर, 2002 का ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.56 देखें)।

ए.22 निवासी व्यक्ति को अपने घनिष्ठ रिश्तेदार (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 में यथा परिभाषित रिश्तेदार) अनिवासी भारतीय/भारतीय मूल के व्यक्ति को रेखित(क्रास) चेक/इलेक्ट्रानिक अंतरण के मार्फत उधार देने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के तहत दी जाए:-

(i) ऋण ब्याज मुक्त है तथा ऋण की न्यूनतम परिपक्वता/अदायगी अवधि एक वर्ष है;

(ii) किसी निवासी व्यक्ति के लिए यह ऋण राशि उदारीकृत विप्रेषण योजना के तहत एक वित्तीय वर्ष में विप्रेषण के लिए उपलब्ध 2,00,000 अमरीकी डालर की समग्र सीमा में होनी चाहिए। यह उधार देने वाले की जिम्मेदारी होगी कि वह यह सुनिश्चित करे कि ऋण की राशि वित्तीय वर्ष के दौरान उदारीकृत विप्रेषण योजना के तहत 2,00,000 अमरीकी डालर की सीमा के अंदर हो;

(iii) यह ऋण राशि उधार लेने वाले व्यक्ति के भारत में निजी प्रयोजनों या स्वयं के कारोबार (बिजनेस) के लिए उपयोग की जाएगी;

(iv) यह ऋण राशि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर उन प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं की जाएगी जिनमें भारत से बाहर के व्यक्ति द्वारा निवेश पर रोक हैं, अर्थात;

(ए) चिट फंड के कारोबार, या

(बी) निधि कंपनी, या

(सी) कृषि या प्लांटेशन गतिविधियां या रियल इस्टेट गतिविधियाँ या फार्म हाउस के निर्माण, या

(डी) स्थानांतरणीय विकासात्मक अधिकारों (TDRs) की ट्रेडिंग के लिए ।

स्पष्टीकरण: उपर्युक्त मद सं. (सी) के प्रयोजन के लिए, रियल इस्टेट कारोबार में टाउनशिप का विकास, आवासीय/कमर्शियल परिसर, सड़क तथा पुलों का निर्माण शामिल नहीं होगा।

(v) ऋण राशि अनिवासी भारतीय/भारतीय मूल के व्यक्ति के एनआरओ खाते में जमा की जाए। ऐसी ऋण राशि को एनआरओ खाते में जमा होने योग्य राशि माना जाए;

(vi) ऋण राशि भारत से बाहर विप्रेषित नहीं की जाएगी;

(vii) ऋण उधारकर्ता द्वारा सामान्य बैंकिंग चैनल के मार्फत आवक विप्रेषणों से अथवा उधारकर्ता के एनआरओ/एनआरई/एफसीएनआर खाते को नामे करके अथवा ऐसे ऋण की मंजूरी जिन शेयरों या प्रतिभूतियों या अचल संपत्ति की जमानत पर दी गयी हो, की बिक्री से हुई आमदनी से अदा किये जाएंगे ।

अनुबंध- 1

(मास्टर परिपत्र का पैरा ए. 1.1)

विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन) नियमावली, 2000

दिनांक 3 मई 2000 की अधिसूचना जीएसआर 381 (ई) (समय-समय पर यथा संशोधित)*:- केंद्र सरकार, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 5 तथा उप दारा (1) और धारा 46 की उप-धारा (2) के खण्ड (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय रिज़र्व बैंक से परामर्श करके लोक हित में इसे आवश्यक समझते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात;

1.संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-(1) इन नियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन) नियमावली, 2000 कहा जाएगा।

(2) ये 1 जून 2000 को प्रभावी होंगे ।

2.परिभाषाएं :- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो ;

(ए) **"अधिनियम"** का अभिप्राय विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) है;

(बी) **"आहरण"** का अभिप्राय किसी प्राधिकृत व्यक्ति से विदेशी मुद्रा का आहरण है और जिससे साख पत्र खोलना या अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड या अंतर्राष्ट्रीय डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड या किसी अन्य वस्तु, चाहे उसका कोई भी नाम हो और जिससे विदेशी मुद्रा देयता उत्पन्न होती है, शामिल है;

(सी) **"अनुसूची"** का अभिप्राय इन नियमों से संलगन अनुसूची है;

(डी) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में परिभाषित नहीं है किंतु अधिनियममें परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं।

3.विदेशी मुद्रा आहरण पर प्रतिबंध :- किसी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए विदेशी मुद्रा का आहरण करना निषिद्ध है , अर्थात्

ए) अनुसूची I में विनिर्दिष्ट कोई लेन-देन; अथवा

बी) नेपाल और / या भूटान की यात्रा; अथवा

सी) नेपाल या भूटान में निवासी व्यक्ति के साथ कोई लेन-देन;

बशर्ते भारतीय रिज़र्व बैंक ऐसी शर्तों के अधीन जैसा वह विशेष या साधारण आदेश द्वारा अनुबद्ध करना आवश्यक समझे, खंड (सी) के निषेध में छूट दे।

4. भारत सरकार का पूर्व अनुमोदन :- कोई व्यक्ति भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना अनुसूची II में शामिल किसी लेन-देन के लिए विदेशी मुद्रा का आहरण नहीं करेगा;

बशर्ते यह नियम वहाँ लागू नहीं होगा, जहाँ भुगतान प्रेषक के निवासी विदेशी मुद्रा (आरएफसी) खाते में जमा निधि से किया जाता है ।

5. **रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन :-** कोई भी व्यक्ति रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना अनुसूची III में शामिल किसी लेन-देन के लिए विदेशी मुद्रा का आहरण नहीं करेगा;

   बशर्ते यह नियम वहाँ लागू नहीं होगा जहाँ भुगतान प्रेषक के निवासी विदेशी मुद्रा (आरएफसी) खाते में जमा निधि से किया जाता है।

6. (1) नियम 4 या 5 की कोई बात, प्रेषक के विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा (ईईएफसी) खाते में धारित निधियों में से आहरण पर लागू नहीं होगी।

   (2) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, नियम 4 या नियम 5 के अधीन लगाए गए प्रतिबंध वहाँ लागू रहेंगे जहाँ विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी (ईईएफसी) खाते से आहरण को अनुसूची II की मद 10 और 11 या अनुसूची III की मद 3, 4, 11, 16 और 17, जैसी भी स्थिति हो, में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए है ।

7. **भारत के बाहर रहते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड का उपयोग**
   भारत के बाहर यात्रा पर रहते हुए किए गए व्यय के लिए व्यक्ति द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड के उपयोग पर नियम 5 की कोई बात लागू नहीं होगी।

अनुसूची - 1

लेन देन, जिनकी मनाही है

(नियम 3 देखिए)

1. लाटरी की जीत में से विप्रेषण ।
2. घुड़दौड़ / घुड़सवारी आदि या किसी अन्य /शौक से हुई आय का विप्रेषण ।
3. लाटरी टिकट, प्रतिबंधित/ गैर कानूनी घोषित पत्रिकाओं की खरीद, फुटबाल पूल, घुड़ दौड़ में दांव लगाने आदि के लिए विप्रेषण।
4. भारतीय कंपनियों की विदेशों में संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं में ईक्विटी निवेश के लिए किए गए निर्यात पर कमीशन का भुगतान ।
5. किसी कंपनी द्वारा लाभांश विप्रेषण जिसको लाभांश संतुलन की अपेक्षा लागू है।
6. चाय और तंबाकू के निर्यातों के बीजक मूल्य के 10% कमीशन को छोड़कर रुपए स्टेट क्रेडिट रूट के अधीन निर्यात पर कमीशन का भुगतान ।
7. दूरभाष के "काल बैक सर्विसेज़" से संबंधित भुगतान ।
8. अनिवासी विशेष रुपए खाते में रखी निधियों पर ब्याज की आय से विप्रेषण।

अनुसूची - II

लेनदेन, जिन्हें केंद्र सरकार के पूर्वानुमोदन की आवश्यकता है

(नियम 4 देखिए)

प्रेषण का प्रयोजन	भारत सरकार का मंत्रालय/विभाग जिसका अनुमोदन अपेक्षित है।
1. सांस्कृतिक यात्राएं	मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा और संस्कृति विभाग)
2. किसी राज्य सरकार या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा पर्यटन, विदेशी निवेश और अंतरराष्ट्रीय बोली (10,000 अमरीकी डॉलर से अधिक) से भिन्न प्रयोजन के लिए विदेशी प्रिंट मीडिया में विज्ञापन	वित्त मंत्रालय,(आर्थिक कार्य विभाग)
3. सरकारी क्षेत्र के उपक्रम द्वारा भाड़े पर लिए गए जलयान के माल भाड़े का विप्रेषण	भूतल परिवहन मंत्रालय (माल भाड़ा स्कंध)
4. सरकारी विभाग या सरकारी क्षेत्र के उपक्रम द्वारा सीआईएफ के आधार पर (अर्थात एफ.ओ.बी. और एफ.ए.एस. पर आधारित को छोड़कर) समुद्र परिवहन के जरिए आयात का भुगतान	भूतल परिवहन मंत्रालय (माल भाड़ा स्कंध)
5. अपने विदेश स्थित एजेंटों को विप्रेषण करने वाले बहुविध परिवहन संचालक	पोत परिवहन महानिदेशक से पंजीकरण प्रमाण पत्र
6. निम्नलिखित द्वारा ट्रांसपांडर के किराए का प्रेषण	
(ए) टीवी चैनल	सूचना और प्रसारण मंत्रालय
(बी) इंटरनेट सेवा	संचार और सूचना तकनीकी मंत्रालय
7. कंटेनर रोक रखने के लिए पोत परिवहन महानिदेशक द्वारा निर्धारित प्रभार से अधिक दर का विप्रेषण	भूतल परिवहन मंत्रालय (पोत परिवहन महानिदेशक)
8 हटा दिया गया।	
9. यदि 100,000 अमरीकी डालर से अधिक की राशि शामिल है तो अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय खेल निकायों को छोड़कर किसी व्यक्ति द्वारा विदेश में पुरस्कार राशि/ खेल कार्यकलाप के खर्च का विप्रेषण	मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य तथा खेल विभाग)
10. हटा दिया गया।	
11. पी एण्ड आई क्लब की सदस्यता के लिए विप्रेषण	वित्त मंत्रालय (बीमा प्रभाग)

अनुसूची III

(नियम 5 देखिए)

1. हटा दिया गया

2. किसी देश (नेपाल और भूटान को छोड़कर) में एक या अधिक बार निजी यात्रा के लिए एक वित्तीय वर्ष में 10,000 अमरीकी डालर अथवा उसके समतुल्य से अधिक मुद्रा जारी करना।

3. प्रति वित्तीय वर्ष निवासी व्यक्ति से इतर प्रति प्रेषक / दाता, 5000 अमरीकी डॉलर से अधिक का उपहार विप्रेषण ।

4. (i) प्रति वित्तीय वर्ष निवासी व्यक्ति से इतर प्रति प्रेषक/दाता 5000 अमरीकी डालर से अधिक का दान।

(ii) कार्पोरेटस् द्वारा पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान उनके विदेशी मुद्रा अर्जन के एक प्रतिशत से अधिक अथवा 5,000,000 अमरीकी डालर, जो भी कम है, निम्नलिखित के लिए दान:-

(ए) प्रख्यात शैक्षणिक संस्थाओं में अध्यक्षों का निर्माण;

(बी) शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा प्रवर्तित निधियों (निवेश निधि नहीं) के लिए, और

(सी) दाता कंपनी की गतिविधि के क्षेत्र में किसी तकनीकी संस्था अथवा निकाय अथवा सहयोगी को ।

स्पष्टीकरण :- मद सं. 3 और 4 के प्रयोजन के लिए, उपहार का विप्रेषण और निवासी व्यक्तियों द्वारा दान उदारीकृत विप्रेषण योजना के तहत शामिल किया गया है ।

5. रोज़गार के लिए विदेश जानेवाले व्यक्तियों के लिए 100,000 अमरीकी डॉलर से अधिक के लिए मुद्रा सुविधाएं ।

6. 100,000 अमरीकी डॉलर से अधिक या देश में उत्प्रवास के लिए निर्धारित रकम के लिए मुद्रा सुविधाएं ।

7. विदेश में रह रहे नज़दीकी रिश्तेदारों के भरण पोषण के लिए विप्रेषण : @@

(i) जो निवासी है किंतु भारत में स्थायी रूप से नहीं रहता है उसके निवल वेतन से अधिक (कर कटौती, भविष्य निधि में अंशदान और अन्य कटौतियों के बाद) और

(ए) जो पाकिस्तान से भिन्न किसी विदेशी राज्य का नागरिक है; अथवा

(बी) भारत का नागरिक हैं, जो ऐसी विदेशी कंपनी के भारत स्थित किसी कार्यालय अथवा शाखा अथवा सहायक कंपनी अथवा संयुक्त उद्यम में प्रतिनियुक्ति पर है।

(ii) अन्य सभी मामलों में प्रति प्राप्तिकर्ता प्रति वर्ष 100,000 अमरीकी डालर से अधिक।

स्पष्टीकरण *: इस मद के प्रयोजन के लिए, किसी विनिर्दिष्ट अवधि हेतु अपने नियोजन अथवा प्रतिनियुक्ति के कारण (अवधि की लंबाई पर ध्यान दिए बिना) या किसी विनिर्दिष्ट कार्य या कर्तव्यभार के लिए भारत में निवास करने वाला कोई व्यक्ति जिसकी निवास की अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं है, निवासी है किंतु स्थायी तौर पर निवासी नहीं है ।*

8. कारोबार यात्रा या किसी सम्मेलन में भाग लेने या विशेष प्रशिक्षण या चिकित्सा के लिए विदेश जाने वाले रोगी के खर्चों को वहन करने या विदेश में स्वास्थ्य की जाँच कराने या चिकित्सा/जाँच के लिए विदेश जाने वाले रोगी के साथ सहायक के रूप में रहने के लिए किसी व्यक्ति को, रुकने की अवधि पर ध्यान दिए बगैर 25,000 अमरीकी डॉलर से अधिक की विदेशी मुद्रा जारी करना ।

9. विदेश में चिकित्सा के खर्चों को पूरा करने के लिए मुद्रा जारी करना जो भारत में चिकित्सक या विदेशी अस्पताल/चिकित्सक द्वारा दिए गए अनुमान से अधिक है।

10. विदेश में पढ़ने के लिए विदेशी संस्थान के अनुमान से अधिक या 100,000 अमरीकी डालर, प्रति शैक्षणिक वर्ष, जो भी अधिक हो, मुद्रा जारी करना।

11. भारत में आवासीय फ़्लैटों/वाणिज्यिक प्लाटों के विक्रय के लिए 25,000 अमरीकी डालर या 5 प्रतिशत से अधिक आवक विप्रेषण प्रति लेन-देन जो भी अधिक हो, के लिए विदेश में एजेंट को कमीशन।

12. हटा दिया गया

13. हटा दिया गया

14. हटा दिया गया

15. मूलभूत संरचना क्षेत्र परियोजनाओं के संबंध में परामर्शी सेवाओं के लिए प्रति परियोजना 10,000,000 अमरीकी डालर से अधिक और भारत के बाहर से प्राप्त की गई अन्य परामर्शी सेवाओं के लिए प्रति परियोजना 1,000,000 का विप्रेषण।

स्पष्टीकरण:- इस मद संख्या के प्रयोजन के लिए मूलभूत संरचना क्षेत्र परियोजना निम्नलिखित के संबंध में है –

(i) ऊर्जा

(ii) दूरसंचार

(iii) रेलवेज्

(iv) पुलों सहित रास्ते

(v) बंदरगाह तथा हवाई अड्डा

(vi) औद्योगिक पार्क, और

(vii) शहरी मूलभूत संरचना क्षेत्र (जल आपूर्ति, सफाई, जल-मल निकासी)

16. हटा दिया गया।

17. पूर्व निगमन व्यय की प्रतिपूर्ति के जरिए भारत में किसी कंपनी द्वारा भारत में लाये गये निवेश के पाँच प्रतिशत से अधिक अथवा 100,000 अमरीकी डालर, जो भी उच्चतर है, का विप्रेषण।

18. हटा दिया गया

(संशोधन)

17 अगस्त, 2000 की अधिसूचना जी.एस.आर.663(E)

30 मार्च, 2001 की एस.ओ.301 (E)

2 नवंबर, 2002 की अधिसूचना जी.एस.आर.442(E)

20 दिसंबर, 2002 की अधिसूचना जी.एस.आर.831(E)

16 जनवरी, 2003 की अधिसूचना जी.एस.आर.33(E)

14 मई, 2003 की अधिसूचना जी.एस.आर.397(E)

11 सितंबर, 2003 की अधिसूचना जी.एस.आर.731(E)

29 अक्तूबर, 2003 की अधिसूचना जी.एस.आर.849(E)

13 सितंबर, 2004 की अधिसूचना जी.एस.आर.608(E)

28 जुलाई, 2005 की अधिसूचना जी.एस.आर.512(E)

11 जुलाई, 2006 की अधिसूचना जी.एस.आर.412(E)

28 जुलाई, 2006 की अधिसूचना जी.एस.आर.511(E)

22 मई, 2009 की अधिसूचना जी.एस.आर.349(E)और

05 मई, 2010 की अधिसूचना जी.एस.आर.382(E)

कृपया नोट करें:

@@ 14 जनवरी, 2010 के ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.6 के साथ पढ़ा जाए।

अनुबंध – 2

(मास्टर परिपत्र का पैरा ए 2.4)

फार्म ए-2

आवेदन-व-घोषणा फार्म

(आवेदक द्वारा भरा जाए)

विदेशी मुद्रा आहरण के लिए आवेदन

I. आवेदक के ब्योरे -

(ए) नाम ________________________________

(बी) पता ____

(सी) खाता सं. _____________________________

II. अपेक्षित विदेशी मुद्रा के ब्योरे

1. राशि (मुद्रा का विशेष रूप से उल्लेख करें) ___________

2. प्रयोजन ______________________________

III. मैं आपके प्रभार के साथ मेरे बचत खाता/ चालू/ आरएफसी/ ईईएफसी खाता सं. ___________ के नामे डालने के लिए आपको प्राधिकृत करता/करती हूं और

*ए) ड्राफ्ट जारी करें: हिताधिकारी का नाम __________________________

पता ___________________________________

*बी) विदेशी मुद्रा विप्रेषण सीधे भेजें -

1. हिताधिकारी का नाम _________________________

2. बैंक का नाम और पता___________________________

3. खाता सं. ___________________

*सी) ______________________________ के लिए ट्रैवलर्स चेक जारी करें

*डी) ______________________________ के लिए विदेशी मुद्रा जारी करें

(जो लागू न हो उसे काट दें)

(हस्ताक्षर)

घोषणा

(फेमा 1999 के अधीन)

मैं, ____ घोषित करता/करती हूं कि -

* 1) इस कैलेंडर वर्ष के दौरान भारत में सभी स्रोतों के माध्यम से खरीदे गए अथवा भेजे गए विदेशी मुद्रा की कुल राशि इस आवेदन पत्र सहित उक्त प्रयोजन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित वार्षिक सीमा_______________अमरीकीडॉलर(______________________ _________________________ अमरीकी डॉलर मात्र) की सीमा के अंदर है।

* 2) आपसे खरीदी गई विदेशी मुद्रा उपर्युक्त प्रयोजन के लिए है।

(जो लागू न हो उसे काट दें)

(हस्ताक्षर)

नाम ________________

दिनांक :

प्रयोजन कूट

केवल कार्यालय के उपयोग के लिए

ए.डी कोड सं.----------------

फार्म सं.-------------------

करेंसी--------------------

राशि--------------------

रुपए के समतुल्य

(प्रधिकृत व्यारी द्वारा भरा जाए)

प्राधिकृत व्यापारी उचित प्रयोजन कोड के सामने टिक ()लगाएं (संदेह/ कठिनाई में ग्राहक/ भारिबैंक से परामर्श करें)

कूट
प्रयोजन

पूंजी खाता लेनदेन (00)

एस0001
ईक्विटी पूंजी (शेयर) में विदेश में भारतीय निवेश

एस0002
ऋण प्रतिभूतियों में विदेश में भारतीय निवेश

एस0003
शाखाओं में विदेश में भारतीय निवेश

एस0004
अनुषंगी और सहयोगी कंपनियों में विदेश में भारतीय निवेश

एस0005
भूमि भवन में विदेश में भारतीय निवेश

एस0006
ईक्विटी शेयरों में भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का प्रत्यावर्तन

एस0007
भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का प्रत्यावर्तन -

कंप्यूटर और सूचना सेवा (08)

एस0801
हार्डवेअर परामर्श कार्य/कार्यान्वयन

एस0802
सॉफ्टवेअर परामर्श कार्य/ कार्यान्वयन/

एस0803
डाटाबेस, डाटा प्रोसेसिंग प्रभार

एस0804
कंप्यूटर ऑर सॉफ्टवेअर की मरम्मत और रखरखाव

एस0805
समाचार एजेंसी सेवाएं

एस0806
अन्य सूचना सेवाएं - समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि के लिए ग्राहक शुल्क

रॉयल्टी और लाइसेंस फी (09)

ऋण प्रतिभूतियों में

एस0008

भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का प्रत्यावर्तन - भूमि भवन में

एस0009

भारत में विदेशी संविभाग निवेश का प्रत्यावर्तन - ईक्विटी शेयरों में

एस0010

भारत में विदेशी संविभाग निवेश का प्रत्यावर्तन - ऋण प्रतिभूतियों में

एस0011

अनिवासियों को दिए गए ऋण

एस0012

अनिवासियों से प्राप्त एक वर्ष से अधिक की मूल परिपक्वता अवधि वाले दीर्घावधि और मध्यावधि ऋण की चुकौती

एस0013

अनिवासियों से प्राप्त एक वर्ष से अधिक की मूल परिपक्वता अवधि वाले अल्पावधि ऋण की चुकौती

एस0014

अनिवासी जमा राशियों का प्रत्यावर्तन (एफसीएनआरबी/ एनआरईआरए, आदि)

एस0015

एस0901

विशेष विक्रय अधिकार सेवाएं-पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेड मार्क, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेज़, विशेष विक्रय अधिकार आदि

एस0902

लाइसेंसिंग व्यवस्था के माध्यम से ऑरिजिनल अथवा प्रोटोटाइप उत्पाद (जैसे पांडुलिपि और फिल्म) के उपयोग करने के संबंध में भुगतान

अन्य कारोबार सेवाएं (10)

एस1001

वाणिज्यिक सेवाएं – निवल प्राप्तियां (सीमालंघन न करते हुए माल की बिक्री और खरीद)

एस1002

व्यापार संबंधी सेवाएं - निर्यात / आयात पर कमीशन

एस1003

चार्टर हायर सहित ऑपरेटिंग क्रू के बगैर परिचालनात्मक लीज़िंग सेवाएं (वित्तीय लीज़िंग से इतर)

एस1004

कानूनी सेवाएं

एस1005

प्राधिकृत व्यापारी द्वारा अपने ही खाते पर लिए गए ऋण और ओवरड्राफ्ट की चुकौती

एस0016

किसी और मुद्रा पर बेची गई विदेशी मुद्रा

एस0017

अगोचर आस्तियों जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेड मार्क, आदि की खरीद

एस0018

कहीं और शामिल न किए गए अन्य पूंजी भुगतान

परिवहन (02)

एस0201

भारत में परिचालन करनेवाली विदेशी शिपिंग कंपनियों द्वारा अतिरिक्त भाड़े/ यात्री किराए का भुगतान

एस0202

विदेश में परिचालन करनेवाली भारतीय शिपिंग कंपनियों के परिचालन खर्चे का भुगतान

एस0203

आयातों पर मालभाड़ा - शिपिंग कंपनियां

लेखा, लेखा परीक्षा, बुक कीपिंग और कर परामर्श सेवाएं

एस1006

व्यापार और प्रबंधन परामर्श और जनसंपर्क सेवाएं

एस1007

विज्ञापन, व्यापार मेला, मार्केट रिसर्च और जनमत संग्रह सेवाएं

एस1008

शोध और विकास सेवाएं

एस1009

वास्तुकला, इंजीनियरिडग और अन्य तकनीकी सेवाएं

एस1010

कृषि, खनन और ऑन-साइट प्रोसेसिंग सेवाएं - कीड़ा और बीमारियों से सुरक्षा और फसल उत्पादन में वृद्धि, वन उद्योग सेवाएं, खनन सेवाएं जैसे अयस्क आदि का विश्लेषण

एस1011

विदेश स्थित कार्यालयों के रखरखाव के लिए भुगतान

एस1012

वितरण सेवाएं

एस0204

निर्यातों पर मालभाड़ा - शिपिंग कंपनियां

एस0205

परिचालनात्मक लीजिंग (क्रू के साथ) - शिपिंग कंपनियां

एस0206

विदेश में यात्रा टिकट बुक करना - शिपिंग कंपनियां

एस0207
भारत में परिचालित विदेशी एअरलाइन्स कंपनियों द्वारा अतिरिक्त भाड़े/ यात्री किराए का भुगतान

एस0208

विदेश में परिचालित भारतीय एअरलाइन कंपनियों के परिचालन व्यय

एस0209

आयातों पर मालभाड़ा - एअरलाइन्स कंपनियां

एस0210

निर्यातों पर मालभाड़ा - एअरलाइन्स कंपनियां

एस1013

पर्यावरण सेवाएं

एस1019

अन्य सेवाएं जो कहीं भी शामिल नहीं है

व्यक्तिगत सांस्कृतिक मनोरंजक सेवाएं (11)

एस1101
दृश्य-श्रव्य और संबंधित सेवाएं - चल चित्रों के निर्माण से संबंधित सेवाएं और संबद्ध फीस, किराया, अभिनेता, निर्माता निर्देशक द्वारा प्राप्त किराया शुल्क तथा वितरण अधिकारों के लिए शुल्क

एस1102

व्यक्तिगत, सांस्कृतिक सेवाएं जैसे संग्रहालय, पुस्तकालय, अभिलेखागार और खेल-कूद कार्यकलाप; विदेश में पत्राचार पाठ्यक्रम के शुल्क

सरकार - कहीं और शामिल न किया गया (12)

एस1201

विदेश में भारतीय दूतावासों के रखरखाव

एस0211

परिचालनात्मक लीज़िंग (क्रू के साथ) - एअरलाइन्स कंपनियां

एस0212

विदेश में यात्रा टिकट बुक करना - एअरलाइन्स कंपनियां

एस0213

जहाजी कुली, विलंब शुल्क, पोर्ट हैंडलिंग चार्जस, इत्यादि के कारण भुगतान

यात्रा (03)

एस0301

कारबार यात्रा के लिए विप्रेषण

एस0302

मूल यात्रा कोटा (बीटीक्यू) के अंतर्गत यात्रा

एस0303

तीर्थयात्रा के लिए यात्रा

एस0304

चिकित्सा के लिए यात्रा

एस1202

विदेशी दूतावासों द्वारा भारत में विप्रेषण

स्थानांतरण (13)

एस1301

अनिवासियों की ओर से परिवार रखरखाव और बचत हेतु विप्रेषण

एस1302

व्यक्तिगत उपहार और दान के लिए विप्रेषण

एस1303

विदेश में धार्मिक और धर्मार्थ संस्थाओं को दान के लिए विप्रेषण

एस1304

अन्य सरकारों और सरकारों द्वारा स्थापित धर्मार्थ संस्थाओं को अनुदान और दान के लिए विप्रेषण

एस1305

अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को सरकार द्वारा अंशदान/ दान

एस1306

कर के भुगतान/ वापसी के लिए विप्रेषण

एस0305

शिक्षा के लिए यात्रा (फीस, हॉस्टल व्यय, आदि सहित)

एस0306

अन्य यात्राएं (अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड)

संचार सेवा (04)

एस0401

डाक सेवाएं

एस0402

कुरियर सेवाएं

एस0403

दूरसंचार सेवाएं

एस0404

उपग्रह सेवाएं

विनिर्माण सेवा (05)

आय (14)

एस1401

कर्मचारियों के क्षतिपूर्ति

एस1402

अनिवासी जमा (एफसीएनआरबी/ एनआरईआरए/ एनआरएनआरडी/ एनआरएसआर, आदि) पर ब्याज के लिए विप्रेषण

एस1403

अनिवासियों द्वारा दिए गए ऋणों (एसटी/ एमटी/ एलटी ऋण)

एस1404

ऋण प्रतिभूतियों - डिबेंचर/ बांड/ एफआरएन आदि पर ब्याज का विप्रेषण

एस1405

प्राधिकृत व्यापारियों के अपने खाते पर ब्याज (वॉस्त्रो खातेधारियों अथवा नॉस्त्रो खाते पर ओवरड्राफ्ट) के लिए विप्रेषण

एस1406

लाभ का प्रत्यावर्तन

एस1407

एस0501

परियोजना स्थल पर माल के आयात सहित विदेश में भारतीय कंपनियों द्वारा परियोजनाओं का विनिर्माण

एस0502

विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में कार्यान्वित परियोजनाओं के विनिर्माण आदि के लागत का भुगतान

बीमा सेवा (06)

एस0601

जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान

एस0602

मालभाड़ा बीमा - वस्तुओं के आयात और निर्यात से संबंधित

एस0603

अन्य सामान्य बीमा प्रीमियम

एस0604

लाभांश के भुगतान/ प्रत्यावर्तन

अन्य (15)

एस1501

निर्यातों के वजह से वापसी/ छूट/ बीजक मूल्य पर कटौती

एस1502

गलत प्रविष्टियों का उलटना, गैर-निर्यात के लिए विप्रेषित की गई राशि की वापसी

एस1503

अंतरराष्ट्रीय बोली प्रक्रिया के लिए निवासियों द्वारा भुगतान

एस1504

अप्रयोजनमूलक बिक्री जब विनिमेय/खरीदे/बट्टे खाते डाले गये निर्यात बिलों को अस्वीकृत/धारित/रद्द किया गया हो और उचंत खाते से प्रतिवर्तित किया गया हो।

पुनर्बीमा प्रीमियम

एस0605

सहायक सेवाएं (बीमा कमीशन)

एस0606

दावों का निपटान

वित्तीय सेवाएं (07)

एस0701

निवेश बैंकिंग के अलावे वित्तीय मध्यस्थता - बैंक प्रभार, वसूली प्रभार, साख पत्र प्रभार, वायदा करार को रद्द करना, वित्तीय लीज़िंग पर कमीशन, आदि

एस0702

निवेश बैंकिंग - दलाल, हामीदारी, कमीशन, आदि

एस0703

सहायक सेवाएं - परिचालन और विनियामक शुल्क, अभिरक्षण सेवाओं, डिपॉज़िटरी सेवाओं आदि पर प्रभार

अनुबंध - 3

(06 मार्च 2012 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 90 का अनुबंध)

निवासी व्यक्ति के लिए 200,000 अमरीकी डालर की उदारीकृत विप्रेषण योजना के तहत विदेशी मुद्रा खरीदने के लिए आवेदन-व-घोषणा

(आवेदक द्वारा भरा जाए)

I. **आवेदक के ब्योरे**

ए. नाम

बी. पता

सी. खाता सं.

डी. स्थायी खाता संख्या (पीएएन)

II. **अपेक्षित विदेशी मुद्रा के ब्योरे**

1. राशि (मुद्रा का विशेष रूप से उल्लेख करें)
2. प्रयोजन

III. **निधियों का स्रोत**

IV. **लिखतों का प्रकार**

ड्राफ्ट --

प्रत्यक्ष विप्रेषण---

V. ....वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) 200.. में योजना के तहत किए गए प्रेषण के ब्योरे

दिनांक : ___________ राशि ___________

VI. **हिताधिकारी के ब्योरे**

1. नाम :--

2. पता :---

3. देश

*4. बैंक का नाम और पता---

*5. खाता सं.--

*(*सिर्फ तभी आवश्यक है जब हिताधिकारी के बैंक खाते में विप्रेषण सीधे जमा किया जाना है)*

यह आपको प्राधिकृत करने के लिए है कि आप मेरे खाते के नाम डाले और विदेशी मुद्रा का प्रेषण करें/ उपर्युक्त ब्योरों के अनुसार ड्राफ्ट जारी करें (जो लागू न हों उसे काट दें)।

घोषणा

मैं, ... एतद्द्वारा घोषणा करता/करती

(नाम)

हूं कि आवेदनपत्र की मद सं.V के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान भारत में सभी स्रोतों से खरीदी गई अथवा अनिवासी घनिष्ठ रिश्तेदार (रिश्तेदारों) को ऋण या उपहार स्वरूप रुपये में एनआरओ खाते में जमा करने के लिए उपयोग की गयी राशि सहित प्रेषित की गई विदेशी मुद्रा 2,00,000 अमरीकी डॉलर (दो लाख अमरीकी डॉलर मात्र) की सीमा के अंदर है जो इस प्रयोजन के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित सीमा है तथा प्रमाणित करता/करती हूं कि उपर्युक्त प्रेषण के लिए इस्तेमाल किए गए निधियों के स्रोत मेरे हैं और इसका उपयोग निषिद्ध प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाएगा।

आवेदक के हस्ताक्षर (नाम)

आवेदक के असली (natural) संरक्षक के हस्ताक्षर @
नाम

@ यदि आवेदक अवयस्क है तो आवेदन पत्र अवयस्क के असली (natural) संरक्षक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जाए।

प्राधिकृत व्यापारी द्वारा दिया जाने वाला प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि विप्रेषण अपात्र कंपनियों द्वारा/ को नहीं किया जा रहा है और यह कि विप्रेषण इस योजना के तहत समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों के अनुरूप हैं।

प्राधिकृत पदाधिकारी का नाम और पदनाम :

स्थान :

हस्ताक्षर :

दिनांक :

स्टाम्प और मोहर

अनुबंध- 4

(मास्टर परिपत्र का पैरा ए. 20)

आयकर अधिनियम की धारा 195 के अधीन विप्रेषण के लिए फार्म और आवेदन

1. आवेदक का नाम और पता और *कारोबार का मुख्य स्थान*	
2. मूल्यांकनकर्ता अधिकारी का नाम और पता जिसके क्षेत्राधिकार में प्रेषक आता है	
3. आवेदक का स्थायी खाता संख्या (पीएएन)	
4. विप्रेषण के हिताधिकारी का नाम और पता तथा देश, जहां विप्रेषण किया जाता है	
5. विप्रेषण की राशि और प्रकार	
6. स्रोत पर कर कटौती की दर	
7. अधिनियम/ डीटीएए के प्रावधान का संदर्भ जिसके तहत दर निर्धारित किया गया है	

8. **प्रमाणपत्र**

(i) मैं/ हम ऊपर दर्शाए गए स्रोत पर कर कटौती के अनुसार उपर्युक्त विप्रेषण करना चाहता/चाहती हूं/ चाहते हैं। हमने मेसर्स ______________________________ से जो आयकर अधिनियम की धारा 288 में दी गई परिभाषा के अनुसार एक लेखाकार है, स्रोत पर कर कटौती की राशि, प्रकार और विशुद्धता को अभिप्रमाणित करनेवाला एक प्रमाणपत्र प्राप्त किया है।

(ii) यदि आयकर प्राधिकारी किसी समय यह पाता है कि विप्रेषण की राशि पर वास्तव में कटौती योग्य कर का या तो भुगतान नहीं किया गया है या पूरा भुगतान नहीं किया गया है, मैं/ हम देय ब्याज के साथ कर (टैक्स) की उक्त राशि का भुगतान करने का वचन देता/देती हूँ/ देते हैं।

(iii) मैं / हम आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपर्युक्त चूक के लिए दंड के प्रावधानों के अधीन भी होंगे।

(iv) मैं/ हम उपर्युक्त विप्रेषण के हिताधिकारी की आय के प्रकार और राशि के निर्धारण के लिए आयकर अधिकारियों को समर्थ बनाने हेतु आवश्यक दस्तावेज़ और स्रोत पर कर कटौती के लिए एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में आयकर अधिनियम के तहत हमारी देयता निर्धारित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत करने का वचन देता/देती हूं/ देते हैं।

(v) उपर्युक्त दी गई सूचना मेरी/ हमारी जानकारी और विश्वास में सत्य है और कोई भी संबंधित सूचना छिपाई नहीं गई है।

नाम और हस्ताक्षर

[प्रेषण करनेवाले व्यक्ति के आय की विवरणी पर हस्ताक्षर करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (आयकर अधिनियम की धारा 139(ए) के प्रावधानों के अनुसार) द्वारा हस्ताक्षर किये जाए]

प्रमाणपत्र

मैंने/ हमने उपर्युक्त विप्रेषण की अपेक्षा रखलेवाले मेसर्स ____(प्रेषणकर्ता) और मेसर्स ____ (हिताधिकारी) के बीच हुए करार (जहां कहीं लागू हो) और विप्रेषण के स्वरूप का पता लगाने एवं धारा 195 के प्रावधानों के अनुसार स्रोत पर कर कटौती की दर निर्धारित करने के लिए संबंधित दस्तावेज और लेखा बहियों की जांच की है। हम एतद्द्वारा निम्नप्रकार प्रमाणित करते हैं कि :

1.	विप्रेषण के हिताधिकारी का नाम और पता एवं उस देश का नाम जिसको विप्रेषण किया जा रहा है।			
2.	प्रस्तावित दिनांक/ माह और बैंक, जिसके माध्यम से विप्रेषण किया जा रहा है, को दर्शाते हुए विदेशी मुद्रा में विप्रेषण राशि।			
3.	स्रोत पर काटे गए कर (टैक्स) के ब्योरे, दर जिस पर कर की कटौती की गई है और कटौती का दिनांक		विदेशी मुद्रा	भारतीय@ मुद्रा
		विप्रेषित की जानेवाली राशि		
		स्रोत पर की गई कर कटौती		
		प्रेषित वास्तविक राशि		
		दर,जिस पर कटौती की गई		
		कटौती का दिनांक		
4.	उपर्युक्त (2) के अनुसार विप्रेषण के मामले में क्या देय कर का समग्र योग किया गया है? यदि हां, तो उसकी गणना बताएं।			
5.	तकनीकी सेवाओं, ब्याज, लाभांश आदि के लिए रॉयल्टी, फीस हेतु विप्रेषण की स्थिति में संबंधित डीटीएए का खंड जिसके तहत विप्रेषण को सुरक्षा दी जाती है, के साथ कारण और दर जिस पर डीटीएए को लागू ऐसे खंड के अनुसार कर की कटौती अपेक्षित है।			

6.	यदि लागू डीटीएए के तहत निर्धारित दर से कम पर कर कटौती की गई है तो उसका कारण।	
7.	वस्तुओं अथवा सामान (अर्थात् संयंत्र, मशीनरी, उपकरण, आदि) अथवा कंप्यूटर सॉफ्टवेयरों की आपूर्ति के लिए विप्रेषण है तो कृपया बताएं :-	
(i)	क्या भारत में कोई स्थायी प्रतिष्ठान है जिसके माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विप्रेषण का हिताधिकारी, वस्तुओं अथवा सामान की आपूर्ति जैसे क्रियाकलाप करता है?	
(ii)	क्या ऐसे स्थायी प्रतिष्ठान को ऐसे विप्रेषण दिए जा सकते हैं अथवा उससे संबंधित किए जा सकते हैं?	
(iii)	यदि हां तो, ऐसे विप्रेषणों में शामिल आय की राशि कर के अधीन है।	
(iv)	यदि नहीं तो, उसके कारण	
8.	यदि विप्रेषण कारोबारी आय के कारण है तो कृपया दर्शाएं :	
(i)	क्या ऐसी आय भारत में कर के अधीन है?	
(ii)	यदि हां तो, कर की कटौती दर की गणना का आधार	
(iii)	यदि नहीं तो, उसके कारण	
9.	किन्हीं अन्य कारण से स्रोत पर कर की कटौती नहीं की जाती है तो उसका कारण बताएं।	

(जहां कहीं आवश्यक हो, विधिवत अधिप्रमाणित अलग शीट संलग्न करें)

नाम, पता और पंजीकरण संख्या

(आयकर अधिनियम की धारा 288 में यथापरिभाषित किसी लेखाकार द्वारा हस्ताक्षरित एवं सत्यापित किया जाए।)

अनुबंध - 5

रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किए जानेवाले विवरण/विवरणियां

वर्णन	आवधिकता	संदर्भ सं.
निवासी व्यक्ति के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना	मासिक	4 अप्रैल, 2008 का ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.36 (कृपया अनुबंध-7 देखें)

प्राधिकृत व्यापारी बैंकों के लिए परिचालनात्मक अनुदेश
भारत से विविध विप्रेषणों के संबंध में मास्टर परिपत्र -निवासियों के लिए सुविधाएं

1. सामान्य

प्राधिकृत व्यापारी, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के तहत जारी अधिनियम/ विनियमों/ अधिसूचनाओं के प्रावधानों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें।

विभिन्न लेनदेनों, विशेषकर चालू खाते के लिए विप्रेषण की अनुमति देते समय प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा सत्यापित किए जानेवाले दस्तावेज़ों का निर्धारण रिज़र्व बैंक नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा 5 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार , किसी व्यक्ति की ओर से विदेशी मुद्रा में कोई लेनदेन करने के पहले,प्राधिकृत व्यापारी से अपेक्षित है कि वह उस व्यक्ति (आवेदक), जिसकी ओर से लेनदेन किया जा रहा है, से घोषणा और अन्य ऐसी जानकारी प्राप्त करें जो उसे संतुष्ट करेगा कि लेनदेन अधिनियम के प्रावधानों अथवा बनाए गए नियमों अथवा विनियमों अथवा अधिसूचनाओं अथवा अधिनियम के तहत जारी निदेशों अथवा आदेशों का उल्लंघन अथवा अपवंचन नहीं करते हैं। प्राधिकृत व्यापारी लेनदेन करने से पूर्व आवेदक से प्राप्त जानकारी/ दस्तावेज़ों को रिज़र्व बैंक द्वारा सत्यापन के लिए सुरक्षित रखें।

यदि व्यक्ति, जिसकी ओर से लेनदेन किया जा रहा है, प्राधिकृत व्यक्ति की अपेक्षाओं को पूरा करने से इंकार करता है अथवा संतोषजनक अनुपालन नहीं करता है तो, उसे लिखित रूप में लेनदेन करने से इंकार किया जाएगा। जहां प्राधिकृत व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण है कि लेनदेन में अधिनियम अथवा उसके तहत बनाए गए नियमों अथवा विनियमों अथवा जारी अधिसूचनाओं के उल्लंघन अथवा अपवंचन के इरादे से उसने इंकार किया है तो, वह रिज़र्व बैंक को इसकी सूचना दें।

समान पद्धति बनाए रखने की दृष्टि से, प्राधिकृत व्यापारी आवश्यकताओं अथवा अपनी शाखाओं द्वारा प्राप्त किए जानेवाले दस्तावेज़ों का विचार करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (5) के प्रावधानों का अनुपालन किया जाता है। विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन) नियमावली, 2000 के नियम 3 के अनुसार, उसकी अनुसूची I में शामिल लेनदेनों के लिए विदेशी मुद्रा का आहरण निषिद्ध है।

नियमावली की अनुसूची II में शामिल लेनदेनों के लिए प्राधिकृत व्यापारी विदेशी मुद्रा जारी कर सकते हैं बशर्ते आवेदक ने लेनदेन के लिए भारत सरकार, के मंत्रालय/विभाग से अनुमोदन प्राप्त किया है।

अनुसूची III में शामिल लेनदेनों के संबंध में, जहां आवेदित विप्रेषण अनुसूची में दर्शाए गए अथवा अनुसूची III में शामिल अन्य लेन-देनों , जिसके लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है, से अधिक है, यदि कोई हो, तो रिज़र्व

बैंक के पूर्वानुमोदन की आवश्यकता होगी। फिर भी निवासी व्यक्ति को योजना की शर्तों के अनुपालन अधीन विप्रेषण की अतिरिक्त राशि के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना का लाभ उठाने का विकल्प है। सभी अन्य चालू लेन-देन, जो नियमावली के तहत विशेष रूप से निषिद्ध नहीं हैं अथवा जो अनुसूची II अथवा अनुसूची III में शामिल नहीं हैं, के लिए अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (5) के प्रावधानों के अनुपालन की शर्त पर प्राधिकृत व्यापारी, बगैर किसी मौद्रिक/प्रतिशत सीमाओं के विप्रेषण की अनुमति दे सकता है। अनुसूची III में शामिल लेन-देनों के लिए उसमें निर्धारित सीमा तक प्राधिकृत व्यापारी अनुमति दे सकते हैं।

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के प्रत्यक्ष कर के केन्द्रीय बोर्ड द्वारा 9 अक्तूबर , 2002 के उनके परिपत्र सं.10/2002 में निर्धारित फार्मेटों में प्रेषक द्वारा दिए गए वचन पत्र और सनदी लेखाकार से प्राप्त प्रमाणपत्र की प्रस्तुति पर प्राधिकृत व्यापारी अनिवासी को प्रेषण की अनुमति देगा (26 नवंबर 2002 का ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.56 देखें)।

2. स्वत: घोषणा के आधार पर विदेशी मुद्रा जारी करना

प्राधिकृत व्यापारी किसी प्रकार के सहायक दस्तावेजों की प्रस्तुति पर जोर दिए बगैर , किंतु लेन-देनों के मूल ब्योरों और फार्म अ 2 में आवेदन की प्रस्तुति को शामिल करते हुए (i) विदेश में नौकरी, (ii) उत्प्रवास (इमीग्रेशन), (iii) विदेश में रहनेवाले निकट रिश्तेदारों के जीवन-निर्वाह, (iv) विदेश में शिक्षा ग्रहण करने, और (v) विदेश में चिकित्सा कराने के लिए 100,000 अमरीकी डालर के विप्रेषण की अनुमति दे सकते हैं। प्राधिकृत व्यापारी यह भी सुनिश्चित करें कि विदेशी मुद्रा की खरीद के लिए भुगतान आवेदक द्वारा चेक अथवा डिमांड ड्राफ्ट अथवा उसके खाते के नामे डालकर किया जाता है। प्राधिकृत व्यापारी दिनांक 10 दिसंबर 2008 के हमारे ए.पी.(डीआइआर) परिपत्र सं. 40 नियत किये अनुसार कार्ड धारकों के क्रेडिट/डेबिट/प्रि-पेड कार्ड के जरिए भी भुगतान स्वीकार कर सकते हैं। इसके अलावा, किसी देश (नेपाल और भूटान को छोड़कर) के एक या एक से अधिक निजी दौरों के लिए प्राधिकृत व्यापारी द्वारा एक वित्तीय वर्ष में 10,000 अमरीकी डालर तक अथवा उसके समतुल्य राशि जारी किए जाने की वर्तमान सुविधा स्वत:घोषणा के आधार पर जारी रहेगी

3.कम मूल्य वाले प्रेषण

प्राधिकृत व्यापारी सभी अनुमत चालू खाता लेन-देनों के लिए अधिकतम 25,000 अमरीकी डालर अथवा उसके समतुल्य राशि जारी कर सकते हैं। प्राधिकृत व्यापारी अनुबंध – 2 में दर्शाए अनुसार सरलीकृत आवेदन व घोषणा (फार्म ए-2) प्राप्त करें।

4. निवासी व्यक्तियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना

किसी भी अनुमत चालू अथवा पूंजी खाता लेनदेनों अथवा दोनों के संयुक्त रूप के लिए निवासी व्यक्तियों को इस योजना के तहत विप्रेषण की अनुमति है।

योजना के तहत सुविधा, विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन) नियमावली, 2000 की अनुसूची III में पहले ही शामिल की गई सुविधा के अतिरिक्त है। इस योजना के अंतर्गत उपहार तथा दान के लिए विप्रेषण शामिल किया गया है।

योजना के तहत, निवासी व्यक्ति रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बगैर भारत के बाहर अचल संपत्ति अथवा शेयर(सूचीबद्ध अथवा अन्यथा) अथवा ऋण लिखतें अथवा कोई अन्य परिसंपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है अथवा रख सकता है। वे भारत के बाहर बैंकों के साथ विदेशी मुद्रा खाते खोल, रख और धारित भी कर सकते हैं। फिर भी, योजना के तहत, समुद्रपारीय मंडियों/ समुद्रपारीय प्रतिपक्षों को मार्जिन अथवा मार्जिन काल्स के लिए भारत से विप्रेषण की अनुमति नहीं है।

व्यक्ति को किसी प्राधिकृत व्यापारी की शाखा को नामित करना होगा जिसके माध्यम से योजना के तहत सभी विप्रेषण किए जाएंगे। इस योजना के तहत विप्रेषणों के लिए स्थायी खाता संख्या (पीएएन) होना अनिवार्य है ।

निवासी व्यक्तियों को सुविधा उपलब्ध कराते समय प्राधिकृत व्यापारियों को यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि बैंक खातों के संबंध में, **" अपने ग्राहकों को जानिए "** मार्गदर्शी सिद्धांतों को कार्यान्वित किया जाता है। उन्हें इस सुविधा की अनुमति देते समय प्रचलित **धनशोधन निवारक नियमों** का भी अनुपालन किया जाना चाहिए।

आवेदकों का विप्रेषण के पूर्व कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए बैंक के पास बैंक खाता होना चाहिए। विप्रेषण की इच्छा रखनेवाला आवेदक यदि बैंक का नया ग्राहक है, तो प्राधिकृत व्यापारी खाता खोलते, परिचालित करते और रखते समय समुचित सावधानी बरते। इसके अलावा, प्राधिकृत व्यापारी निधियों के स्रोत के संबंध में स्वयं को आश्वस्त करने के लिए आवेदक से पिछले वर्ष का बैंक विवरण प्राप्त करें। यदि ऐसा बैंक विवरण उपलब्ध न हो, तो अद्यतन आयकर निर्धारण आदेश अथवा आवेदक द्वारा दाखिल रिर्टन प्राप्त किया जाए।

प्राधिकृत व्यापारी यह सुनिश्चित करें कि विप्रेषण की इच्छा रखनेवाले व्यक्ति की निधियों में से, भुगतान आवेदक के बैंक खाते पर आहरित चेक अथवा उसके खाते नामे डालकर अथवा डिमांड ड्राफ्ट / पे आर्डर के जरिए प्राप्त किया जाता है। इस योजना के तहत विप्रेषण को सुविधाजनक बनाने के लिए बैंक, निवासी व्यक्तियों को किसी प्रकार की ऋण सुविधा उपलब्ध न कराएं।

इस योजना के अंतर्गत विप्रेषणों को सामान्य अवधि में आर-विवरणी में रिपोर्ट किया जाएगा। अधिकतम 25000 अमरीकी डालर तक के विप्रेषणों के संबंध में प्राधिकृत व्यापारी डमी (dummy) फार्म ए-2 तैयार करे और रिकार्ड में भी रखे। प्राधिकृत व्यापारी बैंक डमी (dummy) फॉर्म ए-2 तैयार करेगा ताकि वह भुगतान संतुलन के लिए सांख्यिकी इनपुट हेतु विप्रेषण के प्रयोजन प्रस्तुत कर सके। इसके अतिरिक्त, प्राधिकृत व्यापारी **मासिक आधार** पर भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग (ईपीडी), केंद्रीय कार्यालय, मुंबई को योजना के तहत आवेदकों की संख्या और विप्रेषित कुल राशि की जानकारी भी प्रस्तुत करेगा।

अनुबंध -7

(मास्टर परिपत्र का पैरा ए. 13.18)

[4 अप्रैल, 2008 का ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.36]

<u>फार्मेट</u>

-------माह को समाप्त अवधि के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना के तहत निवासी व्यक्तियों द्वारा किए गए विप्रेषण के ब्योरे दर्शानेवाला विवरण

बैंक का नाम :

क्रम सं.	प्रेषण का प्रयोजन	आवेदकों की संख्या	अमरीकी डालर में विप्रेषित राशि
1.	जमा		
2.	अचल संपत्ति की खरीद		
3.	ईक्विटी/ऋण में निवेश		
4.	उपहार		
5	दान		
6.	यात्रा		
7.	निकट संबंधियों का भरण-पोषण		
8.	चिकित्सा इलाज		
9.	विदेश में अध्ययन		
10.	अन्य(कृपया स्पषट उल्लेख करें, आवश्यकतानुसार अलग से शीट संलग्न करें)		
कुल			

प्राधिकृत अधिकारी का नाम और पदनाम:

स्थान :

हस्ताक्षर :

दिनांक :

स्टाम्प और मुहर

परिशिष्ट-1

इस मास्टर परिपत्र में समेकित किए गए परिपत्रों की सूची

भारत से विविध विप्रेषण - निवासियों के लिए सुविधाएं

htt://www.rbi.org.in/Scripts/BS_ApCircularsDisplay.aspx

htt://www.rbi.org.in/Scripts/BS_FemaNotifications.aspx

क्रम सं.	परिपत्र सं.	दिनांक
1.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.1	1 जून, 2000
2.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.19	30 अक्तूबर, 2000
3.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.20	16 नवंबर, 2000
4.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.11	13 नवंबर, 2000
5.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.12	23 नवंबर, 2000
6.	ईसी.सीओएफएमडी.599/18.08.01/2001-02	21 जनवरी, 2002
7.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.53	27 जून, 2002
8.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.16	12 सितंबर, 2002
9.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.17	12 सितंबर, 2002
10.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.37	1 नवंबर, 2002
11.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.51	18 नवंबर, 2002
12.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.53	23 नवंबर, 2002
13.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.54	25 नवंबर, 2002
14.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.56	26 नवंबर, 2002
15.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.64	24 दिसंबर, 2002
16.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.65	6 जनवरी, 2003
17.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.73	24 जनवरी, 2003
18.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.103	21 मई, 2003
19.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.3	17 जुलाई, 2003
20.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.7	12 अगस्त, 2003
21.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.8	16 अगस्त, 2003
22.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.33	13 नवंबर, 2003
23.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.55	23 दिसंबर, 2003
24.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.64	4 फरवरी, 2004
25.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.71	20 फरवरी, 2004

26.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.76	24 फरवरी, 2004
27.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.77	13 मार्च, 2004
28.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.86	17 अप्रैल, 2004
29.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.90	3 मई, 2004
30	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.20	25 अक्तूबर, 2004
31.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.38	31 मार्च, 2005
32	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.46	14 जून, 2005
33.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.25	6 मार्च, 2006
34.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.13	17 नवंबर, 2006
35.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.14	28 नवंबर, 2006
36.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.24	20 दिसंबर, 2006
37.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.38	05 अप्रैल, 2007
38.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.58	18 मई, 2007
39.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.9	26 सितंबर, 2007
40.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.36	4 अप्रैल, 2008
41.	विदेश मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन) नियमावली, 2000	3 मई 2000(और अनुवर्ती संशोधन) (कृपया पेज नं. 28 देखें)
42.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.15	8 सितंबर, 2008
43.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.40	10 दिसंबर, 2008
44.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.10	5 अक्तूबर, 2009
45.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.11	5 अक्तूबर, 2009
46.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.50 ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.7	4 मई, 2010
47.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.52	13 मई, 2010
48.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.29	22 दिसंबर 2010
49.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.48	5 अप्रैल 2011
50.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.17	16 सितंबर 2011
51.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.18	16 सितंबर 2011
52.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.32	10 अक्तूबर 2011
53.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.37	19 अक्तूबर 2011
54.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.90	6 मार्च 2012
55.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.102	2 अप्रैल 2012
56.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.118	7 मई 2012

1. विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा),1999 की धारा 5

चालू खाता लेनदेन

कोई भी व्यक्ति किसी प्राधिकृत व्यक्ति को विदेशी मुद्रा बेच सकता है अथवा उससे आहरित कर सकता है यदि ऐसी बिक्री अथवा आहरण चालू खाता लेन-देन है।

बशर्ते लोक हित में और रिज़र्व बैंक के परामर्श से केंद्र सरकार चालू खाता लेनदेनों के लिए ऐसे यथोचित प्रतिबंध , जैसा कि निर्धारित किया जाए, लगाए।***(मास्टर परिपत्र का पैरा ए. 1.1)***

2. एफईएम (सीएटी) नियमावली, 2000 का नियम 3

विदेशी मुद्रा आहरण पर प्रतिबंध- निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु किसी भी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा के आहरण पर प्रतिबंध है अर्थात :-

(ए) अनुसूची I में विनिर्दिष्ट कोई लेन-देन ; अथवा (बी) नेपाल और / अथवा भूटान की यात्रा अथवा (सी) नेपाल अथवा भूटान में किसी निवासी व्यक्ति के साथ लेनदेन; बशर्ते, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विशेष अथवा सामान्य आदेश द्वारा अनुबद्ध शर्तों के अधीन, जैसा वह आवश्यक समझे, खंड(सी) के प्रतिबंध में छूट दी जाए।***(मास्टर परिपत्र का पैरा ए. 1.4)***

3. फेमा, 1999 की धारा 10 की उप-धारा (5)

किसी व्यक्ति की ओर से विदेशी मुद्रा में लेनदेन करने से पहले किसी प्राधिकृत व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि वह उस व्यक्ति से ऐसी घोषणा करने को कहे और ऐसी जानकारी देने को कहे जो उसे पर्याप्त रूप से संतुष्ट कर सके कि लेनदेन इस अधिनियम के प्रावधानों अथवा उसके तहत बनाए गए किसी नियम,नियमावली,अधिसूचना,निदेश अथवा आदेश के उल्लंघन अथवा अपवंचन में शामिल नहीं होगा और जहां उपर्युक्त व्यक्ति ऐसी किसी अपेक्षा के अनुपालन से इंकार करता है अथवा उसका केवल असंतोषजनक अनुपालन करता है,तो प्राधिकृत व्यक्ति लेनदेन करने से लिखित रूप में मना करेगा और यदि उसे विश्वास करने का कारण है कि उस व्यक्ति द्वारा उपर्युक्त कोई ऐसा उल्लंघन अथवा अपवंचन करने का इरादा है तो उसकी जानकारी रिज़र्व बैंक को दी जाए। ***(मास्टर परिपत्र का पैरा ए. 14.1)***